@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता

वर्ष-15, अंक-01 01-15 जनवरी, 2020 (पाक्षिक) ₹20

'नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता देने के लिए है'

नई दिल्ली में संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत अध्ययन कर रहे विशेष बच्चों से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नागरिकता संशोधन कानून बनने पर इंदौर (मध्यप्रदेश) में संपन्न हुई आभार प्रदर्शन सभा में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते मध्यप्रदेश भाजपा कार्यकर्ता और साथ में पाकिस्तान से आए शरणार्थीगण

वाशिंगटन (अमेरिका) में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर

नागरिकता संशोधन कानून बनने पर नागपुर (महाराष्ट्र) में संपन्न हुई अभिनंदन सभा में लोगों को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये कारोबार को भी गति देने वाला है: नरेन्द्र मोदी

अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से...

वैचारिकी

समाज की सर्वांगीण उन्नति हमारा ध्येय 15

श्रद्धांजलि

स्वामी विवेकानंद 17

लेख

सीएए पर भ्रम फैलाकर डराया जा रहा है 18

भारत के किसी भी धर्म के नागरिक को नहीं है इससे कोई खतरा 20

ऐतिहासिक भूल का सुधार है नागरिकता संशोधन कानून 22

अन्य

आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण 13

वामपंथी उग्रवाद को रोकने में सशस्त्र सीमा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: अमित शाह 19

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारत में 100 करोड़ रुपए मूल्य की सर्वाधिक 20 किलोग्राम कोकीन जब्त की 21

अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता 24

'यह विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा' 28

मां गंगा उप-महाद्वीप की सबसे पवित्र नदी हैं: नरेन्द्र मोदी 30

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना संभव: नरेन्द्र मोदी 32

80 लाख छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां 33

09 कांग्रेस सीएए पर एक वर्ग विशेष के लोगों को उकसा रही है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 दिसंबर को इंदौर...

10 भाजपा ने झारखंड में सबसे अधिक मत प्रतिशत के साथ 25 सीटों पर जीत हासिल की

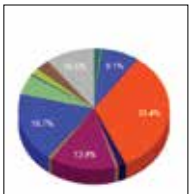

झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा 23 दिसंबर, 2019 को हुई। इस चुनाव में...

12 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में 15 विधेयक पारित

संसद के शीतकालीन सत्र का 13 दिसम्बर को समापन हो गया, जबकि 18 नवम्बर को इसका शुभारंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान 26 दिनों...

14 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ब्याज अनुदान योजना में संशोधनों को मंजूरी

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 16 दिसंबर...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

नरेन्द्र मोदी

कुछ लोग सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताने में लगे हैं। ये एक्ट उन लोगों पर लागू होगा, जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं। नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं, जिनमें अधिकतर दलित हैं, जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था।

अमित शाह

सीएए पर ये कांग्रेस एंड कम्पनी अफवाह फैला रही है, देश के अल्पसंख्यकों को भ्रमित कर रही है। मैं राहुल गांधी और सारे विपक्ष को चुनौती देता हूं कि सीएए में कहीं एक जगह भी अगर किसी की नागरिकता वापस लेने का प्रावधान है तो सामने आकर जनता को बताओ या फिर जनता को इस पर झूठ बोलना बंद करो।

जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से कहा और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि एक भी भारत के नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया, जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया। राजनीति देश से बढ़कर होती है क्या?

बीएल संतोष

99.9% नहीं जानते कि सीएए-2019 के प्रावधान क्या हैं ... इसमें ज्यादातर हस्तियां शामिल हैं जिन्होंने दंगों के लिए अपना नाम उधार दिया है... झूठ, घिनौना झूठ और नकली समाचार इन दंगाइयों और उनसे सहानुभूति रखने वालों को सबसे प्यारे हो गए हैं।

facebook

विपक्षी दल रोज नागरिकता कानून के बारे में झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। मैं सोनिया जी से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाले भाई-बहनों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसमें गलत क्या है?

— शिवराज सिंह चौहान

किसान और मजदूरों के कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब किसानों को अनाज मंडियों से बाहर खाना खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अनाज मंडियों के बाद 'अटल किसान-मजदूर कैंटीन' की व्यवस्था प्रदेश की शुगर मिलों में भी शुरू की जाएगी।

— मनोहर लाल

सर्वे भवंतु सुखिनः के भाव के साथ सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करने के लिए संकल्पित है। इसी ध्येय से पिछले वर्ष अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की थी, मुझे ख़ुशी है कि पिछले एक साल में एएयूवाई के तहत प्रदेश में 1.10 लाख लोग मुफ्त उपचार करवा चुके हैं। आयुष्मान भारत के दायरे में प्रदेश के केवल 5.5 लाख परिवार हैं, लेकिन हमने एएयूवाई के जरिए राज्य के सभी परिवारों को सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम से जोड़कर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाया है।

— त्रिवेन्द्र सिंह रावत

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
पोंगल, बिहु और मकर संक्रांति (15 जनवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का खुले दिल से स्वागत

नागरिकता संशोधन अधिनियम पर पूरे देश में कुव्यवस्था फैलाने का कांग्रेसी षड्यंत्र लोगों के सामने उजागर हो चुका है। कांग्रेस यहां तक चली गई कि पूरे देश में इसने दुष्प्रचार कर लोगों के मन में शंका का बीज डालना चाहा ताकि देश में सांप्रदायिक विभाजन की लकीरें खींच जाये। जिस प्रकार से कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों ने लोगों के बीच भ्रम उत्पन्न कर उन्हें गुमराह करने का कुप्रयास किया, वह सर्वथा निंदनीय एवं विभाजनकारी राजनीति का खतरनाक खेल है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि झूठ एवं मिथ्या प्रचार से अफवाह फैलाकर समाज में थोड़े समय के लिए भ्रम की स्थिति पैदा की जा सकती है, परंतु अंततः ऐसी राजनीति को पराजय का मुख ही देखना पड़ता है। पहले भी इसने समाज को बांटकर 'वोट–बैंक' की राजनीति करनी चाही परंतु जनता ने इसकी राजनीति को नकार कर चुनावों में इसे बार–बार धूल चटाई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने लगातार जनता द्वारा पाठ पढ़ाने के बाद भी वोट–बैंक की राजनीति का दामन नहीं छोड़ा है तथा वह समाज को बराबर बांटने के कुप्रयास में संलिप्त है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का है, उसके संबंध में समाज में निराधार भ्रम उत्पन्न कर कांग्रेस और इसके सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं। वे यहां तक जा चुके हैं कि महात्मा गांधी की इच्छाओं का विरोध करने से भी नहीं हिचक रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदुओं एवं सिखों के प्रति भारत का नैतिक दायित्व है। जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, जिसकी हृदय विदारक तस्वीरें अभी हर भारतीय को दहलाती हैं। यह विश्व की एक ऐसी बड़ी त्रासदी थी जिसमें लाखों–करोड़ों लोग या तो मारे गए या विस्थापित होने को मजबूर हो गए। विभाजन की उस त्रासदी को आज भी इन देशों के अल्पसंख्यक सहने को मजबूर हैं तथा उनके जान–माल, परिवार, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। इनमें से अनेक को या तो धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है अथवा वे भारत में आकर शरण लेने को विवश हैं। बड़ी संख्या में वहां से पलायित अल्पसंख्यक भारत के विभिन्न भागों में शरणार्थी के रूप में दयनीय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं। नागरिकता मिलने से वे एक नई जिंदगी भारत में शुरू कर सकते हैं। विभिन्न अवसरों पर लगभग सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की मांग की है। इसमें कोई शंका नहीं कि वे विभाजन के शिकार हैं और भारत में शरण लेने के सिवा अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। प्राचीन काल से ही विश्व के विभिन्न भागों में प्रताड़ित समुदायों को आश्रय देने की भारत की परंपरा रही है। सदियों पहले जिन लोगों ने भारत में शरण ली थी आज भी शांतिपूर्ण तरीके से देश में रहकर भारतीय समाज एवं संस्कृति में अपना अनुपम योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आये प्रताड़ित अल्पसंख्यक जो अपने जान–माल, धर्म, स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए भारत आये हैं, वो अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी की राह देख रहे हैं। भारत का इनके प्रति एक नैतिक दायित्व है, परंतु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रख कर 'वोट–बैंक' की राजनीति को ही सर्वोपरि मान रखा है।

पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आये प्रताड़ित अल्पसंख्यक जो अपने जान–माल, धर्म, स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए भारत आये हैं, वो अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी की राह देख रहे हैं। भारत का इनके प्रति एक नैतिक दायित्व है, परंतु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रख कर 'वोट–बैंक' की राजनीति को ही सर्वोपरि मान रखा है।

यह अत्यंत संतोषजनक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संसद के दोनों सदनों ने 'नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को भारी बहुमत से पारित कर दिया तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अब यह एक कानून में परिवर्तित हो चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आये प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायों जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी एवं ईसाई शामिल हैं, इससे उनके जीवन में एक नया सवेरा आया है। अब ये प्रताड़ित अल्पसंख्यक एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं तथा एक बार फिर उनके जीवन में नए रंग भरने की आशा जगी है। इस कदम के लिए जिस प्रकार की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति देश को देखने को मिला है उससे इस अधिनियम को जगह–जगह पर भारी समर्थन मिल रहा है तथा मोदी सरकार के इस पुनीत कार्य की लोग मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। संसद में जिस प्रकार से विधेयक को देश के गृहमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया तथा हर प्रश्न का जवाब देकर इस विधेयक का विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी, उसकी देश के कोने–कोने में भूरि–भूरि प्रशंसा हो रही है। मोदी सरकार ने देश की अनेक चिरलंबित समस्याओं का समाधान कर दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि से परिपूर्ण एक नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। पूरा राष्ट्र, सीमा पार से आये प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का खुले दिल से आज स्वागत कर रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये कारोबार को भी गति देने वाला है: नरेन्द्र मोदी

अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल के अलावा, दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ- सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह-तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं- क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया, तो किसी से पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था किस तरफ है, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? नहीं। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को मिला, सिख और ईसाई भाई-बहनों को भी मिला।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ये बातें 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई भाजपा की आभार रैली में कहीं। इस रैली में लाखों की संख्या में पहुंचे दिल्लीवासियों ने 1,700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "दशकों तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल-कपट और झूठे चुनावी वादों से गुजरना पड़ा है। हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया और बिल पास कराया। टेक्नोलॉजी की मदद से 1,700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिह्नित किया। 1,200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के कारोबार को भी गति देने वाला है।"

श्री मोदी ने इस मौके पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के बारे में कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे एक-एक झूठ और भ्रम को लोगों के सामने रखा और कहा कि यह कानून देश के 130 करोड़ लोगों में से किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीएए को गरीबों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन ऐसे झूठ बेचने वालों और अफवाह फैलाने वालों को पहचानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा, "एक ही सत्र में दो बिल पारित हुए हैं। एक बिल में दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं और ये झूठ

फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाला कानून बना रहा हूं। यह झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है। मैं झूठ फैलाने वालों को चुनौती देता हूं, जाइए मेरे काम की पड़ताल कीजिए। कहीं पर दूर-दूर तक भेदभाव की बू आती है, तो देश के सामने लाकर रख दीजिए।''

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ गरीबों को नागरिकता देने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, "इस कानून का देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए लोगों को सुरक्षा देने के लिए है। नागरिकता संशोधन कानून का फायदा किसी नए शरणार्थी को नहीं मिलेगा, यह उन पर लागू होगा, जो वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं।" श्री मोदी ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह, ममता बनर्जी और अशोक गहलोत जैसे नेता पहले ऐसी मांग कर चुके हैं कि पड़ोस के देशों से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, जिनका अपनी आस्था की वजह से उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन आज जब मौजूदा सरकार ने उसी दिशा में ठोस कदम उठाया है, तो उन्हीं नेताओं की पार्टियां अपने राजनीतिक हित के कारण लोगों को गुमराह कर रही हैं।

नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ गरीबों को नागरिकता देने के लिए है। इस कानून का देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए लोगों को सुरक्षा देने के लिए है। नागरिकता संशोधन कानून का फायदा किसी नए शरणार्थी को नहीं मिलेगा, यह उन पर लागू होगा, जो वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एनआरसी जो अभी आया ही नहीं, जिसके लिए अभी तक नियम-कायदे भी तय नहीं हुए, उसे लेकर हौवा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेन्शन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ है। जो इस देश की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की ही संतान थे, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का ही कोई लेना-देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को डिटेन्शन सेंटर में नहीं भेजने जा रहा।"

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर भ्रम फैलाने वालों ने दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। प्रधानमंत्री ने हिंसा करने वालों से कहा, "अगर पत्थर मारना ही है तो मोदी को मारो, जलाना ही है तो मोदी का पुतला जला लो, लेकिन कम से कम

किसी गरीब का नुकसान तो मत करो। गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों को मारकर, पीटकर आपको क्या मिलेगा? जिन पुलिसवालों पर आप पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी करके आपको क्या मिलेगा? मत भूलिए, आजादी के बाद 33 हजार से ज्यादा पुलिसवालों ने शांति के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए शहादत दी है। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है तो पुलिस ये नहीं पूछती कि आपका धर्म क्या है।"

श्री मोदी ने दिल्लीवासियों को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि किस प्रकार दिल्ली की मौजूदा राज्य सरकार यहां पीने के पानी

गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों को मारकर, पीटकर आपको क्या मिलेगा? जिन पुलिसवालों पर आप पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी करके आपको क्या मिलेगा? मत भूलिए, आजादी के बाद 33 हजार से ज्यादा पुलिसवालों ने शांति के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए शहादत दी है। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है तो पुलिस ये नहीं पूछती कि आपका धर्म क्या है।

समस्या पर आंख मूंद कर बैठी है, जो यहां की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है, उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन इस स्थिति के बावजूद दिल्ली की सरकार नहीं मानती कि यहां पानी की गंदगी जैसी कोई दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में

कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में कई मोर्चों पर काम किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में औसतन करीब 14 किलोमीटर प्रतिवर्ष का विस्तार हो रहा था। हमारी सरकार आने के बाद अब ये करीब-करीब 25 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। यानी दिल्ली में अब सालाना करीब 25 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बन रहा है। पिछले पांच साल में दिल्ली में 116 किलोमीटर नई लाइनें शुरू हुई हैं। इसके अलावा अभी करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम हो रहा है।"

उन्होंने कहा कि अपने दफ्तर आने-जाने में, अपने घर आने-जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका भी निरंतर प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा, "दिल्ली के भीतर सड़कों पर ध्यान देने के साथ ही दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से अटका हुआ था। इसे पूरा करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया। अब इसके बन जाने से रोजाना 30-40 हजार ट्रकों की एंट्री दिल्ली के भीतर नहीं होती, वो बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। इससे दिल्ली के ट्रैफिक पर भी बोझ कुछ कम हुआ है।" ■

कांग्रेस सीएए पर एक वर्ग विशेष के लोगों को उकसा रही है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 दिसंबर को इंदौर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस के रवैये पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वे इस कानून के प्रावधानों पर केवल 10 पंक्तियां बोलकर दिखाएं। श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सीएए पर जनता को गुमराह करते हुए एक वर्ग विशेष के लोगों को उकसा रही है और वोट बैंक को देश से ऊपर रखकर हिंसा की आग पर राजनीति की रोटियां सेंक रही है।

सीएए के समर्थन में यहां भाजपा की तरफ से आयोजित आभार सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि मैं राहुल से कहना चाहता हूं कि वे सीएए के प्रावधानों पर केवल 10 लाइन बोल दें। वह बस दो लाइन उन प्रावधानों पर भी बोलकर दिखाएं, जिनसे तथाकथित तौर पर देश का नुकसान हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आने वाले लोग बुनियादी चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नेतृत्व करने की चाह रखने वाले नेताओं को सीएए के बारे में बुनियादी बातें तक पता नहीं हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि देश में पिछले एक हफ्ते के दौरान सीएए के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहंचा, लेकिन क्या राहुल गांधी ने इस नुकसान की निंदा करते हुए कोई बयान दिया। कांग्रेस और भाजपा के बीच विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। आपकी (राहुल की) सीमित बुद्धि के कारण किसी विषय पर आपके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, लेकिन यह कहां तक उचित है कि आप हिंसा पर एक भी शब्द नहीं बोलें।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस सवाल का भी जवाब दें कि क्या उन्होंने वर्ष 1947 में हुए भारत के विभाजन का इतिहास पढ़ा है? उनके वक्तव्यों से तो कतई नहीं लगता कि उनके दिल में देश के उस बंटवारे का कोई दर्द है जब बर्बर नरसंहार के बीच लाखों लोगों को अपनी जान की सलामती और स्त्रियों को अपनी आबरू बचाने के लिये मातृभूमि को अचानक छोड़ना पड़ा था। पड़ोसी मुल्कों से आये हिन्दू और सिख शरणार्थियों की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में क्या राहुल गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों से मुलाकात का कोई प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा नरेन्द्र मोदी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से नए नागरिकता कानून की अवधारणा साकार हो सकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय के एक भी वैध नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस विचार का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया था कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान से भारत आये लोगों को भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। ■

भाजपा ने झारखंड में सबसे अधिक मत प्रतिशत के साथ 25 सीटों पर जीत हासिल की

झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा 23 दिसंबर, 2019 को हुई। इस चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीतीं और उसका मत प्रतिशत 33.4 रहा, जो राज्य में किसी भी पार्टी को मिलने वाले मत प्रतिशत से अधिक है। जबकि, कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो ने 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल किया। इस गठबंधन ने 47 सीटों पर विजय हासिल की है।

भाजपा ने झारखंड विधानसभा की 81 में से 79 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं पार्टी ने एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो के खिलाफ किसी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था।

चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पूर्व सीएम श्री रघुबर दास ने कहा कि भाजपा की आजसू पार्टी का गठबंधन नहीं होने और विपक्षी दलों का गठबंधन बरकरार रहने के कारण इस विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। श्री दास ने कहा कि यह हार उनकी है, भाजपा की नहीं।

श्री दास ने कहा, "मैंने ईमानदारी से झारखंड के विकास के लिए काम किया है। जिसमें बिजली, सड़क और अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है, इसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिला है। भविष्य में भी मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा क्योंकि भाजपा हमेशा राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी रहती है।"

उसी दिन शाम को श्री रघुबर दास ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। श्री दास नई सरकार के बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे।

परिणाम से पता चलता है कि यह न तो सत्ता विरोधी लहर थी और न ही सरकार की अलोकप्रियता इन चुनावों में हार की

वजह बनीं। 2014 के चुनावों की तुलना में कम सीटें पाने के बावजूद भाजपा को इस बार सबसे अधिक मत प्रतिशत हासिल हुआ, जबकि, झामुमो ने अपने दो सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर जीत हासिल की।

झारखंड के इतिहास में पहली बार भाजपा ने एक स्थिर सरकार दी और राज्य के विकास के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम किया। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे ग्रामीण सड़क, आदिवासी क्षेत्रों का विद्युतीकरण और गरीबों के लिए मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, सभी मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। यही कारण है कि इस बार पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनावों में 37 सीटें जीती थीं और आजसू के समर्थन से सरकार बनाई थी।

भाजपा जन–केंद्रित मुद्दों पर काम करती रहेगी: प्रधानमंत्री मोदी

झारखंड में जीत के बाद झामुमो अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, "मैं हेमंत सोरेन जी और झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को झारखंड चुनावों में जीत के लिए बधाई देता हूं। राज्य की सेवा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं।

श्री मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को कई वर्षों तक राज्य की सेवा करने का अवसर देने के लिए झारखंड के लोगों को भी धन्यवाद दिया।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "मैं भाजपा को कई वर्षों तक राज्य की सेवा करने का अवसर देने के लिए झारखंड के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं उनके प्रयासों के लिए सभी मेहनती पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं। हम राज्य की सेवा करते रहेंगे और आने वाले समय में जनता से संबंधित मुद्दों को उठाते रहेंगे।"

भाजपा झारखंड में मिले जनादेश का सम्मान करती है: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा झारखंड के मतदाताओं के जनादेश का सम्मान करती है, बता दे कि विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस गठबंधन विजयी हुआ था। एक ट्वीट में श्री शाह ने झारखंड के लोगों को भाजपा को पांच साल तक राज्य की सेवा करने का मौका देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विधानसभा चुनावों में अथक प्रयासों के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना की।

झारखंड परिणाम

झामुमो	:	30
कांग्रेस	:	16
भाजपा	:	25
जेवीएम (पी)	:	3
आजसू पार्टी	:	2
सीपीआई (एमएल) लिबरेशन	:	1
स्वतंत्र	:	2
राजद	:	1
एनसीपी	:	1
कुल	:	81

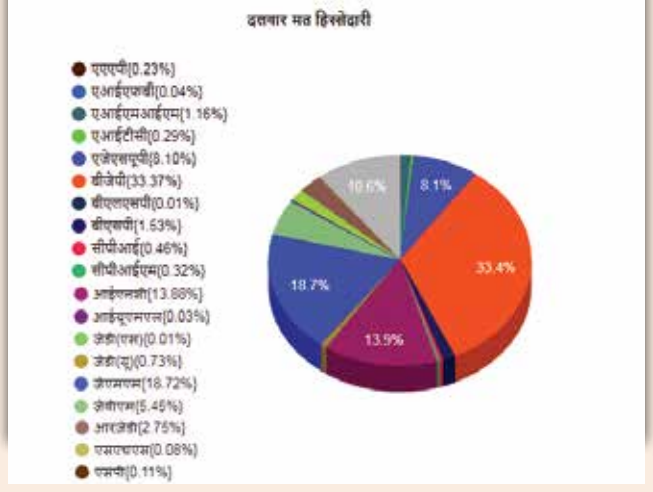

हम झारखंड में जनादेश को स्वीकार करते हैं: जेपी नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्वीट में कहा, "लोकतंत्र में जनता का आदेश सर्वोच्च होता है। हम झारखंड चुनाव में प्राप्त जनादेश को स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विकास के लिए हमेशा तैयार है। हम राज्य के विकास के लिए हर मुद्दे को उठाते रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं और राज्य के लोगों को धन्यवाद।" ■

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में 15 विधेयक पारित

लोकसभा में 116 प्रतिशत और राज्यसभा में 100 प्रतिशत कामकाज

संसद के शीतकालीन सत्र का 13 दिसम्बर को समापन हो गया, जबकि 18 नवम्बर को इसका शुभारंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान 26 दिनों की कुल अवधि के दौरान 20 बैठकें आयोजित की गईं। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 18 विधेयक पेश किए गए। सत्र के दौरान लोकसभा में 14 विधेयक पारित हुए, जबकि राज्यसभा में 15 विधेयक पारित हुए। संसद के दोनों ही सदनों में 15 विधेयक पारित हुए, जो अब संसदीय अधिनियम बन जायेंगे। लोकसभा में लगभग 116 प्रतिशत और राज्यसभा में तकरीबन 100 प्रतिशत कामकाज हुआ।

सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रथम संग्रह पर विचार-विमर्श किया गया और दोनों ही सदनों में संबंधित विनियोग विधेयक के साथ इसे मंजूरी दी गई। इस दौरान वे दो विधेयक भी विचार-विमर्श के बाद पारित हो गए, जिन्होंने संबंधित अध्यादेशों का स्थान लिया। संबंधित अध्यादेश ये हैंः (i) इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन) प्रतिबंध अध्यादेश, 2019 और (ii) कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019। ये अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए थे।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित

दोनों सदनों ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया। यह विधेयक, 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता पाने का पात्र बना देगा और इसके साथ ही उन्हें भारत में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देगा। आयुध अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2019 अवैध आग्नेयास्त्रों के उपयोग के जरिये किए जाने वाले अपराधों पर प्रभावकारी ढंग से रोक लगाने में मददगार साबित होगा और इसके साथ ही कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ लगाम लगाएगा।

सामाजिक न्याय और सुधार

भारत में सामाजिक एवं महिला-पुरुष समानता प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए इस सत्र के दौरान कुछ विशेष विधेयक पारित किए गए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित किया गया है और इसके साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन) प्रतिबंध विधेयक, 2019 का उद्देश्य ई-सिगरेट के साथ-साथ इसी तरह के उपकरणों के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना है, क्योंकि इनमें अत्यधिक नशे की लत वाला निकोटिन होता है। यह विधेयक सतत विकास लक्ष्यों, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निगरानी फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में परिकल्पित लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी मददगार साबित होगा।

प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े सुधार

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कुछ अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के सम्पत्ति अधिकारों को मान्यता देने के लिए सरकार ने दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के सम्पत्ति अधिकारों को मान्यता) विधेयक, 2019 को कानून का रूप दे दिया है, जो इन निवासियों की एक महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करेगा।

विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019 के पारित हो जाने से एसपीजी अब प्रधानमंत्री एवं उनके सरकारी निवास पर उनके साथ रहने वाले उनके निकटतम परिजनों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ ही एसपीजी किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के अपने पद से हटने की तिथि से लेकर पांच वर्षों की अवधि तक उन्हें आवंटित सरकारी निवास पर उनके साथ रहने वाले उनके निकटतम परिजनों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा।

संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, 2019 का उद्देश्य अगले 10 वर्षों यानी 25 जनवरी, 2030 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखते हुए समावेशी स्वरूप को बनाये रखना है, जैसाकि संविधान के संस्थापक सदस्यों द्वारा परिकल्पना की गई है।

आर्थिक क्षेत्र/कारोबार में सुगमता के उपाय

देश में आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक वर्तमान सत्र के दौरान पारित किए गए। कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, विकास की गति तेज करेगा, अर्थव्यवस्था में नए रोजगार अवसर सृजित करेगा, पूंजी बाजार में स्थिरता लाएगा और पूंजी बाजार में धन का प्रवाह बढ़ायेगा।

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 चिट फंड सेक्टर का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करेगा, जिससे अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की वित्तीय पहुंच और भी अधिक बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में वित्तीय सेवाओं के लिए एक बाजार विकसित करने और नियमन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण की स्थापना करेगा।

चार पुराने लम्बित विधेयकों को राज्यसभा में वापस ले लिया गया, जिनमें भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987; स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग विधेयक, 2011; भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013 और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 शामिल हैं।

लोकसभा में नियम 193 के तहत 2 अल्पावधि परिचर्चाएं हुईं। इनमें से एक परिचर्चा 'वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन' पर हुई जिससे संबंधित जवाब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दिया। वहीं, दूसरी परिचर्चा 'विभिन्न कारणों से फसलों को नुकसान और किसानों पर इसका असर' पर हुई, जिससे संबंधित जवाब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने दिया।

राज्यसभा में एक विशेष परिचर्चा 'भारतीय राजनीति में राज्यसभा की भूमिका और आगे की राह' पर हुई। इसी तरह नियम 176 के तहत एक परिचर्चा देश में आर्थिक हालात पर हुई। उधर, 'देश, विशेषकर दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तरों से उत्पन्न स्थिति', 'व्हाट्सएप के जरिये कुछ लोगों का फोन डेटा गलत ढंग से लेने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का कथित उपयोग करना' और 'उभरते जल संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की जरूरत' पर तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये गए। इसके अलावा 'जल' को 'राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची' में डालने पर भी राज्यसभा में चर्चा की गई।

संविधान को अपनाने के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए 26 नवम्बर, 2019 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने उपस्थित हस्तियों को सम्बोधित किया। ■

पीएसएलवी की पचासवीं उड़ान

आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण

भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने अपनी पचासवीं उड़ान (पीएसएलवी-सी48) में आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का 11 दिसंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पीएसएलवी-सी48 ने पहले लांचपैड से 15:25 पर उड़ान भरी। 16 मिनट और 23 सेकेंड के बाद आरआईएसएटी-2बीआर1 ने सफलतापूर्वक 576 किलोमीटर के एक कक्ष में प्रवेश किया। इसके बाद नौ वाणिज्यिक उपग्रहों को उनके इच्छित कक्षों में प्रविष्ट किया गया।

अलग होने के बाद आरआईएसएटी-2बीआर1 की दो सौर सरणियों को स्वचालित रूप से तैनात किया गया। इसके बाद बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने इस उपग्रह पर नियंत्रण कर लिया। आने वाले दिनों में उपग्रह को इसके अंतिम परिचालन विन्यास में लाया जाएगा।

इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने कहा कि आज हमने 50वें मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पीएसएलवी के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर उन्होंने 'पीएसएलवी@50' नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस लांचर ने अंतरिक्ष में 52.7 टन का भार उठाया है, जिसमें से 17 प्रतिशत भार अन्य उपग्रहों का है।

आरआईएसएटी-2बीआर1 एक रडार इमेजिंग पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह है, जिसका वजन लगभग 628 किलोग्राम है। यह उपग्रह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। आरआईएसएटी-2बीआर1 की मिशन आयु 5 वर्ष है।

डॉ. सिवन ने कम समय में ही प्रक्षेपण यान और उपग्रह टीमों द्वारा इस मिशन को हासिल करने के प्रयासों की सराहना की। इजरायल, इटली, जापान और अमेरिका के नौ उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया गया। ये उपग्रह न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ एक वाणिज्यिक अनुबंध के तहत प्रक्षेपित किए गए हैं।

पीएसएलवी-सी48 क्यूएल विन्यास (4 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन के साथ मोटर्स) में पीएसएलवी की दूसरी उड़ान है। पीएसएलवी के 50वें प्रक्षेपण के अलावा आज का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से 75वां प्रक्षेपण यान मिशन भी था। श्रीहरिकोटा में लगभग 7000 दर्शकों ने इस प्रक्षेपण को देखा। ■

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ब्याज अनुदान योजना में संशोधनों को मंजूरी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 16 दिसंबर को एमएसएमई की ब्याज अनुदान योजना में परिवर्तनों को मंजूरी प्रदान की। आज इस योजना की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन सुधारों से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि एमएसएमई की ब्याज अनुदान योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवम्बर 2018 में किया था।

परिचालन दिशा निर्देशों में किए गए संशोधन बैंक और ऋण देने वाले संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुधारों पर आधारित हैं। इस योजना के सहज परिचालन में बाधा डालने वाली परिचालन संबंधी कठिनाइयों को हल करने के लिए बैंकों और संस्थानों ने ये सुझाव दिए थे। सुधारों/संशोधनों का विवरण इस प्रकार है:

1. दावों का निपटान आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र और 30 जून, 2020 तक एक बार वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा।

2. पात्र संस्थानों द्वारा संबंधित छमाही के लिए कई लोट में दावों की स्वीकृति।

3. जीएसटी के लिए पात्र इकाइयों के लिए उद्योग आधार संख्या (यूएएन) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इकाइयों के लिए जीएसटी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वे आयकर स्थायी खाता संख्या या संबंधित पात्र संस्थानों द्वारा एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया ऋण खाता संख्या जमा कर सकते हैं।

4. 31 मार्च 2019 को समाप्त छमाही अवधि के लिए दावे जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2019 कर दिया गया है।

5. यूएएन के बिना की गई व्यापारिक गतिविधियों को वांछनीय बना दिया गया है।

6. अनुमानित दावा राशि का 50 प्रतिशत पात्र संस्थानों को (कम-से-कम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित) जारी किया जा सकता है। ऐसा इन संस्थानों द्वारा जमा किए गए डेटा/सूचना के आधार पर और जून, 2020 तक संबंधित वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस योजना के दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधनों से इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी यानी कम लगात पर ऋण पहुंच स्थापित करके एमएसएमई की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में बढ़ोतरी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस योजना के कार्यान्वयन पर नजदीकी नजर रखी जा रही है, ताकि एमएसएमई को सरकार के 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 1 करोड़ रुपये तक का बढ़ोतरी ऋण प्राप्त करने में मदद मिले। ■

साल्वो रूप में दो पिनाक मिसाइलों का सफल उड़ान परीक्षण

पिनाक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की उड़ान परीक्षणों की शृंखला के हिस्से के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा दो परीक्षण फायरिंग की गई। पहला परीक्षण 19 दिसंबर को किया गया, जिसमें 75 किलोमीटर की दूरी से एक प्रक्षेपास्त्र दागा गया। दूसरा परीक्षण 20 दिसंबर को 11 बजे दिन में ओडिशा के चांदीपुर तट के निकट स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया।

इस परीक्षण का मिशन उद्देश्य कम रेंज का परीक्षण करना, निकटता फ्यूज के साथ लाइव वॉरहेड कार्य प्रणाली का परीक्षण करना और साल्वो लॉन्च करना था। दो फायरिंग के बीच 60 सेकंड के अंतराल पर पिनाक प्रक्षेपास्त्र साल्वो रूप में (सलामी रूप में) दागे गए। दोनों प्रक्षेपास्त्र 20 किलोमीटर रेंज लक्ष्य पर दागे गए। मिसाइल निकटता फ्यूज के साथ लाइव वॉरहेड से एकीकृत था।

इसकी ट्रैकिंग विभिन्न रेंज प्रणालियों यानी टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली (ईओटीएस) से की गई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए पूरे डीआरडीओ समुदाय को बधाई दी। ■

समाज की सर्वांगीण उन्नति हमारा ध्येय

दीनदयाल उपाध्याय

पिछले अंक का शेष...

एक छोटा सा उदाहरण लें कि कोई बच्चा है। हम उसका शृंगार करना चाहते हैं, शृंगार भी हम उसके अनुरूप करेंगे कि वह स्त्री है या पुरुष। यदि वह लड़का है और हमने उसका लड़की जैसा शृंगार कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसको उसके स्वरूप का ज्ञान होगा, वही उसमें सौंदर्य को खोज सकता है और जिसको उसके स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, वह उसके सौंदर्य का विचार भी कैसे कर सकता है? इसलिए राष्ट्र के धर्म का विचार छोड़कर कोई विचार करने लगेगा तो भगवान् जाने उसकी क्या स्थिति होगी? ऐसा व्यक्ति जब चलता है, तो व्यक्ति जैसे दूसरों से उधार ले-लेकर ही काम चलाता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। उसको यह मालूम नहीं होता कि कहां चलना है, क्या बोलना है? बाज़ार में जाता है तो पैसे होने के बाद भी वह सोच नहीं पाता कि उसका क्या किया जाए? इसलिए वह कहीं भी जाएगा, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। वह स्वयं अपना ध्येय निश्चित नहीं कर पाता। चाहता ज़रूर होगा कि मुझे ध्येय निश्चित करना है। परंतु वह जैसा अवसर मिलेगा, परिस्थितियां जैसी मिलेंगी, उन्हीं के अनुसार वह चलता चला जाता है।

जैसे मकानों के ऊपर एक वेदरकॉक लगा होता है। एक मुर्गा और उसके साथ चार कटोरे लगे रहते हैं। वे कटोरे हवा के साथ घूमते हैं। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं रहती। हवा जिधर से आती है, उधर ही घूम जाते हैं। वे ज्यादा-से-ज्यादा यही बता सकते हैं कि हवा किधर से चल रही है। पूरब से चल रही है या पश्चिम से चल रही है, उत्तर से चल रही है या दक्षिण से चल रही है। उनकी अपनी स्वतः कोई शक्ति नहीं होती। वे कुछ निर्माण करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर पाते। वेदरकॉक के समान इधर-उधर के चक्कर लगाने वाले कुछ लोग भी हैं। वे दुनिया को बस यही बता सकते हैं कि अब कैसी हवा चल रही है। यानी वो स्वयं उस हवा में बहते चले जाते हैं। अपनी कोई दिशा निश्चित नहीं कर सकते।

इस प्रकार के लोग वैभव की बात करते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि वैभव है कहां? इसीलिए आज एक प्रकार का आदर्श सामने रखते हैं, कल दूसरे प्रकार का। अपने राष्ट्र के संबंध में आपको मालूम होगा न कि कितने प्रकार के आदर्श रखे गए हैं। कोई कहता है कि हम तो बिल्कुल असांप्रदायिक राज्य बनाना चाहते हैं। कोई कहता है कि हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि समाज व राज्य का वे अलग-अलग विचार नहीं कर सकते। इसलिए राज्य का ही विचार करते हैं। कोई कहता है कि हम यहां पर सब प्रकार से समाजवाद लाना चाहते हैं। इस प्रकार की जो चीजें हैं, उसमें से निश्चित विचार करके न चलकर एक के बाद एक चीज़ आती चली जाती हैं।

अपने राष्ट्र के संबंध में आपको मालूम होगा न कि कितने प्रकार के आदर्श रखे गए हैं। कोई कहता है कि हम तो बिल्कुल असांप्रदायिक राज्य बनाना चाहते हैं। कोई कहता है कि हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि समाज व राज्य का वे अलग-अलग विचार नहीं कर सकते। इसलिए राज्य का ही विचार करते हैं।

मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक शेखचिल्ली अपने घर से चला। उसे ससुराल जाना था एक विवाह के न्योते पर। वह घर से चलकर ससुराल जाने के लिए निकला। उन दिनों गाड़ियां नहीं हुआ करती थीं और लोग पैदल ही जाया करते थे। उसे काफ़ी दूर पैदल जाना था। इसलिए उसकी मां ने उसे खिचड़ी बनाकर खिलाई। वह खिचड़ी उसे बहुत अच्छी लगी। उसने मां से पूछा कि यह क्या है। उसने बताया कि यह खिचड़ी है। शेखचिल्ली ने सोचा कि ससुराल जाकर वहां भी यही खिचड़ी बनवाकर खाऊंगा। वह रास्ते भर याद करता रहा खिचड़ी-खिचड़ी। रास्ते में आंधी आई। उसकी टोपी हवा में उड़ गई। उसके पीछे भागते-भागते थककर एक जगह बैठ गया। लेकिन इस बीच वह खिचड़ी शब्द ध्यान से निकल गया। वह खाचिड़ी-खाचिड़ी चिल्लाने लगा। थोड़ी दूर चला तो वहां एक किसान अपने खेत पर बैठा चिड़िया उड़ा रहा था। उसने खाचिड़ी-खाचिड़ी सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तू यह क्यों कह रहा है, तब उसने कहा कि मैं और क्या बोलूं। किसान ने उसे बताया कि उड़ चिड़ि-उड़ चिड़ि कहना चाहिए। अब वह उड़ चिड़ि कहता चला जा रहा था कि एक बहेलिया चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। उसकी बात सुनकर उसे गुस्सा आया। बहेलिये ने उसे समझाया कि उसे कहना चाहिए 'आते जाओ-फंसते जाओ'। अब शेखचिल्ली कहने लगा, 'आते जाओ-फंसते जाओ।' लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोर मिले। उन्होंने समझा कि वह उन्हें ही कह रहा है। उन्होंने गुस्से से उसे पीटा और कहा कि कहो, 'लाते जाओ, रखते जाओ।' वह आगे चलता जा रहा था और कहता जा रहा था कि लाते जाओ और रखते जाओ। कुछ लोग गांव से एक मुरदा लेकर जा रहे थे। उन्होंने शेखचिल्ली की बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे सब

उसे पीटने को तैयार हो गए। तब शेखचिल्ली ने कहा कि मैं ऐसा न कहूं, तो क्या कहूं। उन्होंने उसे समझाया कि तुम्हें कहना चाहिए कि 'बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के यहां न हो'। तब वह यही कहते-कहते ससुराल पहुंच गया। ससुराल में शादी थी साले की। वहां के लोगों ने उसकी बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आया कि यह क्या कह रहा है। उसकी पत्नी भी रोने लगी। जब वह अपनी पत्नी के पास गया तो उसने बताया कि उसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ, ऐसा सभी के यहां हो। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अपना ध्येय भूल जाते हैं।

जिनको इस बात का पता नहीं कि हम कौन हैं, हमें किधर जाना है? आख़िर जब वैभव का पता ही नहीं होगा, तब हम उसे कैसे पा सकेंगे? गधे का वैभव घोड़े को देने और घोड़े का वैभव गधे को देने से गड़बड़ हो जाती है। घोड़े की जीन गधे पर कसकर और उसे युद्धभूमि में खड़ा कर दिया जाए तथा घोड़े के ऊपर बरतन लादकर उसे कुम्हार का काम दे दिया जाए तो क्या हाल होगा। दोनों का वैभव अलग-अलग है। दोनों की प्रकृति अलग-अलग है। इसलिए दोनों के गुण भी अलग-अलग हैं। आख़िर करेला कड़वा ही होगा। यही उसकी विशेषता है और ईख मीठी ही होनी चाहिए। अब यदि ईख में कड़वापन आ जाए और करेले में मीठापन। कल्पना कीजिए, मीठी चीज़ अच्छी है, लेकिन नीम में मिठास आ जाए, ईख कड़वी हो जाए तो समस्या हो जाएगी। ईख का गुण इसी में है कि वह मीठी हो, नीम कड़वा ही होगा और नीबू खट्टा ही होगा। गरमी के दिनों में जाड़ा पड़ने लगे तो एकाएक बीमारियां फैल जाती हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। वर्षा में पानी न पड़े तो क्या हाल होगा? अनावृष्टि के कारण सब लोग चिल्लाएंगे कि पानी पड़ना चाहिए। लेकिन ज्यादा वर्षा से भी तक़लीफ़ होती है। बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, छाता लगाकर निकलना पड़ता है। कितनी कठिनाइयां होती हैं। फिर भी यदि उन दिनों में बरसात न हो तो परेशानी हो जाएगी। शीतकाल आ जाए और फिर भी गरमी लगे, तो कल्पना कीजिए कि क्या हाल हो जाएंगे?

वास्तव में जैसे हर ऋतु है, उसका वैभव उसी ऋतु में प्रकट होगा। हर प्राणी का अपना वैभव है। उसी प्रकार हर राष्ट्र का अपना वैभव होता है और राष्ट्र का यह वैभव उसके धर्म के साथ अवस्थित है। इसलिए हमने कहा 'विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्' इस धर्म का संरक्षण करके हमें वैभव प्राप्त कराओ। इन दोनों को अलग नहीं किया। हम ऐसा कभी न सोचें कि हमने यह एक एक्स्ट्रा चीज़ मांगी है। ऐसी बात भी नहीं कि भाई, चलो मांगने निकले ही हो तो एक चीज़ के साथ एक चीज़ और मांग लें। वैभव के साथ-साथ धर्म भी मांग लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन धर्म के संरक्षण में ही हमारा वैभव है। यदि धर्म का संरक्षण नहीं, तो वास्तव में हमें किसी भी प्रकार का वैभव प्राप्त नहीं हो सकता। यही बात हम मानकर चले हैं। वास्तव में ये दोनों चीजें एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं कि एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता। धर्म का संरक्षण हुआ तो वैभव मिलेगा और वैभव प्राप्त होगा तो धर्म के संरक्षण से ही होगा।

यदि धर्म का संरक्षण नहीं, तो वास्तव में हमें किसी भी प्रकार का वैभव प्राप्त नहीं हो सकता। यही बात हम मानकर चले हैं। वास्तव में ये दोनों चीजें एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं कि एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता। धर्म का संरक्षण हुआ तो वैभव मिलेगा और वैभव प्राप्त होगा तो धर्म के संरक्षण से ही होगा।

एक प्रश्न इस बारे में प्रकट होता है कि आख़िर यह धर्म क्या है? यह एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है कि धर्म क्या है? धर्म को लेकर कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। धर्म को लेकर लोगों के मन में अनेक धारणाएं हैं। कभी इसका अर्थ यह रखा जाता है कि यदि वेद का कोई मंत्र किसी हरिजन के कान में पड़ गया तो यह अधर्म हुआ। धर्म के लिए कितने ही भाव लगाए गए हैं, जिससे इसका भाव इतना विकृत हो गया है कि इसके कई अर्थ हो गए। कुछ लोग छुआछूत को ही धर्म मानने लगते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा, हमें इस धर्म से बचाओ। इस बारे में एक बात है कि एक बार सूरदासजी से एक सज्जन ने पूछा कि सूरदासजी, खीर खाओगे। सूरदासजी ने कभी खीर नहीं खाई थी। उन्होंने पूछा कि भाई, खीर कैसी होती है? तो उन सज्जन ने बताया कि यह सफ़ेद होती है। अब सूरदासजी तो जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने सफ़ेद भी नहीं देखा था। उन्होंने पूछा कि सफ़ेद क्या होता है? तब उन्हें बताया कि बगुले जैसा होता है। सूरदासजी ने बगुला भी नहीं देखा था। बोले, बगुला कैसा होता है? तब उन्होंने अपना हाथ थोड़ा टेढ़ा करके बताया कि ऐसा होता है। सूरदासजी ने उनका हाथ टटोलकर देखा तो वह टेढ़ा लगा और सोचा कि बगुला ऐसा होता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसी टेढ़ी खीर मुझे नहीं खानी।

तो इसी तरह धर्म के भी लोगों ने कई अर्थ लगा लिये हैं। लोगों ने समझा कि यह धर्म भेदभाव करने वाला है। यह धर्म कोई ऐसी चीज़ होगी, जो लोगों को आपस में अलग-अलग कर देती है। कई बार लोगों ने धर्म के नाम पर ग़लत काम किए, जैसे सही सिक्के के साथ खोटा सिक्का मिलाकर दे दिया। ऐसे स्वार्थी लोग तो दुनिया की हर अच्छी चीज़ का लाभ उठाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ दुअन्नियां ख़राब आ गईं। एक रिक्शे वाले को मैंने दुअन्नी दी। उसने देखा और कहा कि बाबूजी, यह नहीं चाहिए। मैंने कहा कि यह तो ठीक है। वह बोला कि मुझे नहीं मालूम, पर यह दुअन्नी चलती नहीं है। मैंने कहा कि यह तो सरकार की बनाई हुई है। मैंने इसे नहीं बनाया है, तुम इसे नहीं लोगे तो यह क़ानूनी जुर्म है। रिक्शेवाला हाथ जोड़कर बोला कि बाबूजी, क़ानून-वानून तो मैं नहीं जानता, पर यह बाज़ार में चलती ही नहीं। आप हमें चवन्नी दे दीजिए हम आपको कुछ और दे देंगे, आठ पैसे वापस कर देंगे। यानी यह जो चीज़ है तो अब इसके कारण वह जो अच्छी दुअन्नी है वह भी चलनी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि खोटा पैसा जब इतना ज्याददा चल जाता है तो वह अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। यह नियम है अर्थशास्त्र में। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, उन्हें याद होगा। ■

क्रमशः...

— पाञ्चजन्य, मई 26, 1961, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : लखनऊ

स्वामी विवेकानंद

(12 जनवरी 1863 – 4 जुलाई 1902)

स्वामी विवेकानन्द का वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। वे वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो नगर में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासम्मेलन में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदान्त, अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। अपने मत से पूरे विश्व को हिला देने की शक्ति थी उनमें। वे श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सुयोग्य शिष्य थे।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कलकत्ता (कोलकता) में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक व सामाजिक विषयों में व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। भुवनेश्वरी देवी सरल व अत्यंत धार्मिक महिला थीं।

स्वामी जी 1893 में शिकागो (अमेरिका) में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिकागो में उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं, जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं, जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है।

वहां स्वामी जी ने कहा कि जिस तरह अलग-अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग-अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े-मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं।

स्वामी जी जनवरी 1897 में अमेरिका से भारत वापस लौटे। अपने उत्साहपूर्व स्वागत के बीच उन्होंने देश के विभिन्न भागों में अनेक भाषण दिए, जिससे देश में एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी विवकानंद ने कहा कि जनता को दो तरह के ज्ञान की आवश्यकता है- सांसारिक ज्ञान, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे उनका आत्मविश्वास मजबूत हो। प्रश्न यह था कि इन दो प्रकार के ज्ञान का प्रसार कैसे हो। स्वामी जी ने इसका उत्तर शिक्षा के विकास में पाया।

एक बार भयंकर अकाल पड़ा। स्वामी विवेकानंद का हृदय पीड़ितों की सेवा के लिए भाव विभोर हो उठा। वे दिन-रात सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। उन दिनों कोई भी साधु-संत या पंडित धर्म या दर्शन पर चर्चा के लिए आते तो सारी चर्चा को बंद करके वे अकाल पीड़ितों की सेवा को ही बातचीत का मुख्य मुद्दा बना देते थे।

स्वामी जी के प्रमुख कार्य

- लोगों में धार्मिक चेतना भरना तथा उनमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व जागृति करना।
- हिंदू धर्म का विभिन्न संप्रदायों के बीच समान सिद्धांतों के आधार पर एकीकरण करना।
- शिक्षित लोगों का ध्यान पिछड़ी जनता की बदहाली पर केंद्रित करना तथा उनके विकास के लिए वेदांत के सिद्धांत को व्यवहार में लाना।

भारत की युवा शक्ति पर अटूट विश्वास

स्वामी विवेकानन्द भारत की युवा शक्ति पर अटूट विश्वास और आस्था रखते थे। उनके मानस-पटल पर भारत का स्वर्णिम अतीत अंकित तो था ही, साथ ही वे अपने युग की पराधीनता की पीड़ा तथा उसके परिणामस्वरूप घटित आर्थिक दुर्दशा, सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक अधःपतन से भी चिन्तित थे। वे भारत के उज्ज्वल भविष्य के सपने संजो रखे थे। इसीलिए युवा पीढ़ी पर उन्हें बहुत भरोसा था।

उन्हें विश्वास था कि उनकी अनुगामी युवा पीढ़ी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के उनके सन्देशों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर राष्ट्र-मुक्ति और सामाजिक-सांस्कृतिक नव जागरण के पुनीत अभियान को निरन्तर आगे बढ़ायेगी और भारत माता के प्रति अपने धर्म का पूरा पालन करेगी। उन्होंने कहा, 'भारत की युवा-शक्ति देशहित को सर्वोपरि मानकर त्याग और सेवा के प्रति अपने को समर्पित कर दे, लक्षावधि युवक अपनी सुख-सुविधाओं को त्याग कर, करोड़ों दीन-दुःखी-पीड़ित भाइयों के उत्थान-कार्यों में जुट जायें।'

जीवन के अन्तिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा- "एक और विवेकानन्द चाहिये, यह समझने के लिये कि इस विवेकानन्द ने अब तक क्या किया है।" जीवन के अन्तिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः दो तीन घण्टे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चन्दन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गयी। ■

सीएए पर भ्रम फैलाकर डराया जा रहा है

प्रकाश जावडेकर

देश भर में नागरिकता कानून के संबंध में चर्चा चल रही है और गलतफहमी के शिकार लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। कुछ राजनीतिक दल और मोदी विरोधी इसे अवसर मानकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वास्तविकता साफ करना जरूरी है। सबसे पहले यह साफ होना चाहिए कि नागरिकता संशोधन बिल-2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये दो अलग विषय हैं। आज इन दोनों विषयों को मिला कर अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में झूठा डर पैदा किया गया है कि अब इन सारे कदमों से मुसलमानों का संरक्षण समाप्त हो जाएगा और उन्हें बाहरी घोषित किया जाएगा। इससे बड़ा झूठ राजनीति में आज तक कभी भी मंडित नहीं किया गया।

गांधी, नेहरू और पटेल

आइए नागरिकता संशोधन बिल को समझें। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों विभाजन के समय भारत का हिस्सा थे और अफगानिस्तान पहले से विशाल भारत का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की निर्मिति मजहब के आधार पर हुई और अनेक अल्पसंख्यक मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में गए। उसी दौरान वहां से हिंदू बड़ी संख्या में भारत आए। शरणार्थियों को भारत में बसाया गया। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था, 'एक ही भारत के अब दो टुकड़े हुए हैं। भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है।' यही बात पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने भी कही। उस समय भारत आए लाखों शरणार्थियों को नागरिकता भी दी गई। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों घोषित इस्लामिक देश हैं। इसलिए वहां मुसलमानों की धार्मिक प्रताड़ना का सवाल नहीं उठता।

भारत में देश का मजहब कोई पंथ नहीं बल्कि संविधान है। इसलिए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीति भारत ने सदा अपनाई है। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहली दफा इसे कानूनी जामा पहनाया और साफ किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आश्चर्य की बात है कि आज आंदोलन करने वाले अनेक दल उस समय अटल जी की इस पहल का समर्थन कर रहे थे। उसके बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में मनमोहन सरकार बनी। उसने संसद में इसी बिल को फिर से पारित करके उसकी समायावधि 1 साल के लिए बढ़ा दी। 2005 में इस कानून की वैधता 1 साल और बढ़ाई गई। उस समय उनके साथी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस और वे सभी दल थे जो आज इसके विरोध में बोल रहे हैं।

2003 का कानून केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं की बात करता है। आज का कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी सबकी बात करता है जिनकी धार्मिक प्रताड़ना होती आ रही है। अभी 2019 में मोदी सरकार जो नागरिकता संशोधन कानून लाई है, वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले उन धार्मिक समुदायों के लिए है जो प्रताड़ना के शिकार होते हैं। ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध पंथों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की व्यवस्था इस कानून में है। यह पहले से ज्यादा व्यापक है। वास्तव में, सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन राजनीति के कारण आज कुछ विपक्षी दल 2004 और 2005 में ली गई भूमिका के विपरीत खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। यह पाखंड है।

एक प्रश्न आज लोग पूछते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों। इसका उत्तर है कि मुसलमान के साथ कोई भेदभाव

भारत में देश का मजहब कोई पंथ नहीं बल्कि संविधान है। इसलिए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीति भारत ने सदा अपनाई है। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहली दफा इसे कानूनी जामा पहनाया और साफ किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

वामपंथी उग्रवाद को रोकने में सशस्त्र सीमा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल की 56वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में 19 दिसंबर को कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने सदैव निष्ठा के साथ कार्य किया है और देश के सामने अनेक आंतरिक चुनौतियों के समय इस बल के जवानों ने प्राणों की चिंता किए बगैर देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि जब भी भारत की एकता और अखंडता का इतिहास लिखा जाएगा सशस्त्र सीमा बल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हुए नागरिकों को एक इकाई के रूप में जोड़ने का काम किया है। श्री शाह का कहना था कि चाहे मित्र राष्ट्र की सीमाएं हों, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या कश्मीर में तैनाती, हर समय इस बल के जवान राष्ट्र के लिए बलिदान को तैयार रहते हैं।

श्री अमित शाह ने शहीद नीरज क्षेत्री को याद करते हुए कहा कि झारखंड में शहीद इस जवान की शहीदी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने यह भी बताया कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने शहीद जवानों की याद में पुलिस स्मारक बनाया है जो पुलिस की वीर गाथा कहने के लिए तैयार किया गया है।

श्री अमित शाह का कहना था कि आज विश्व में आवागमन सरल होने से जो देश भारत में शांति नहीं देखना चाहते वह तरह-तरह के कुप्रयास करते रहते हैं, किंतु सशस्त्र सीमा बल के जवान उनके मंसूबों को नाकाम करते रहते है। नशीले पदार्थों की तस्करी हो या वामपंथी उग्रवाद सभी को रोकने में सशस्त्र सीमा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने भारत-नेपाल सीमा का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार विदेशी नागरिकों को इस सीमा से घुसपैठ करते हुए सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पकड़ा है। श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में सशस्त्र सीमा बल के जवानों का सकारात्मक योगदान होता है।

उनका यह भी कहना था कि चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है जिसमें शांतिपूर्ण मतदान कराने में इस बल के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विभिन्न मौकों पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों का मानवीय चेहरा लोगों को जोडने का काम करता है। सशस्त्र सीमा बल पहला ऐसा सुरक्षा बल है जिसमें वर्ष 2007 में महिलाओं को शामिल किया गया और वह कंधे से कंधा मिलाकर महिला शक्ति को प्रेरणा देने का काम कर रही हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि प्रत्येक जवान जो सीमा पर तैनात है, अपने परिवार के साथ कम से कम सौ दिन व्यतीत कर सके। ■

नहीं हो रहा है और न होगा। आज देश के जो नागरिक हैं उनमें से एक भी मुसलमान को कोई तकलीफ या असुविधा नहीं होगी और न उसकी देशभक्ति पर कोई आशंका उठेगी। यह प्रश्न भारत के नागरिकों का है ही नहीं। इसका संबंध तीन देशों से आए हुए शरणार्थियों से है। चूंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं, वहां मुस्लिम समाज को धार्मिक प्रताड़ना का शिकार नहीं बनना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री के एक सवाल का जवाब एक भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है। क्या इन तीन देशों के मुसलमानों को भारत आने की खुली छूट देनी चाहिए। 30 करोड़ आबादी को भारत की नागरिकता देने के लिए क्या विपक्ष तैयार है और क्या यह उचित है।

दुनिया में कोई भी देश नागरिकता आसानी से नहीं देता। हर देश के अपने कानून हैं और हर देश में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाता है। यह दुनिया का रिवाज है। भारत ने भी वही नीति अपनाई तो उस पर आपत्ति करते हैं। और अभी तो एनआरसी की रूपरेखा भी सामने नहीं आई है। अभी से विवाद पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। आधार कार्ड की शुरुआत हुई तो कई लोग कहते थे कि गरीब कहां से कागज लाएगा। पहचान कैसे बताएगा। कहां से प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। आज 10 साल बाद हम देख रहे हैं कि भारत के लगभग सभी नागरिकों ने आधार कार्ड प्राप्त कर लिया है। आशंका उठाने वालों से ज्यादा होशियारी से सामान्य जनता काम करती है, यही इसका अर्थ है। अभी केवल नागरिकता संशोधन कानून आया है। एनआरसी की केवल चर्चा है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के 130 करोड़ नागरिकों में से एक नागरिक को भी एनआरसी से बाहर नहीं रखा जाएगा और किसी को भी डरने की या संभ्रमित होने की जरूरत नहीं है।

नाकारा सोच

आज जिस तरह से जान-बूझकर कुछ तत्व हिंसा फैला रहे हैं, उसका तथ्य भी जल्दी सामने आएगा। मोदी जी की ऐतिहासिक दूसरी बार जीत, ट्रिपल तलाक बिल, अयोध्या मसले का शांतिपूर्ण समाधान, धारा-370 का रद्द होना, इन सबमें विपक्ष कुछ कर नहीं पाया। वह गुस्सा उनके मन में ठूंस-ठूंस कर भरा था। अब एक संभ्रम पैदा करने का अवसर मिला तो उसी का फायदा विपक्षी दल उठाना चाहते हैं। लेकिन देश में ऐसी नाकारा सोच की राजनीति सफल नहीं होती है। ■

(लेखक केंद्रीय मंत्री हैं)

साभार- नवभारत टाइम्स

भारत के किसी भी धर्म के नागरिक को नहीं है इससे कोई खतरा

भूपेंद्र यादव

संसद के शीतकालीन सत्र में संसद से पारित किए गए विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन विधेयक था, जो अब कानून बन चुका है। किसी भी देश के लिए नागरिकता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न होता है। जब सरकार किसी व्यक्ति को देश के नागरिक के रूप में मान्यता देती है तो वह नागरिक की सुरक्षा और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करती है, ताकि वह देश के नागरिक के रूप में गरिमापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। संसद से पारित इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समूहों- हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

भारतीय संविधान के तहत दिए गए अधिकारों में से कुछ सभी को दिए गए हैं, जबकि कुछ केवल देश के नागरिकों को दिए गए हैं। यह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश में है कि कुछ अधिकार सभी के लिए होते हैं और कुछ अधिकार केवल वहां के नागरिकों के लिए होते हैं। इस कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, सरकार को इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा, क्या यह कानून लोगों को नागरिकता प्रदान करने में धर्म के आधार पर भेदभाव करता है? तीसरा, क्या सरकार द्वारा विधेयक लाने की पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक वैधता है?

1947 में देश का विभाजन धार्मिक आधार पर

इन प्रश्नों का उत्तर जानने के पहले यह समझना होगा कि देश का विभाजन 1947 में धार्मिक आधार पर हुआ। 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके पाकिस्तानी समकक्ष लियाकत अली खान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह दोनों देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित था। नेहरू-लियाकत समझौते पर पाकिस्तान ने कभी अमल नहीं किया। इस कारण बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक पाकिस्तान और बांग्लादेश (उस दौर के पूर्वी पाकिस्तान) से भारत आए। इनके भारत आने का मुख्य कारण धार्मिक उत्पीड़न और उनकी धार्मिक पहचान का खतरे में होना था। इस गंभीर समस्या पर सिर्फ वर्तमान सरकार का ध्यान गया।

2003 में मनमोहन सिंह ने भी उठाया था मुद्दा

2003 से 2014 के बीच संप्रग सरकार ने संसद में अनेक बार यह बात दोहराई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और इसलिए वे भारत आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2003 में जब केंद्र में राजग सरकार थी तब मनमोहन सिंह ने इन पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मुद्दा उठाया था। माकपा नेता प्रकाश करात ने 2003 में मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर एक पत्र लिखा। कुल मिलाकर लंबे समय से चली आ रही इस समस्या की तरफ लगभग हर दल के नेताओं का ध्यान गया। सभी ने इस समस्या को एक गंभीर चिंता के रूप में जाहिर किया, किंतु दुर्भाग्य से समस्या को जानते और स्वीकारते हुए भी कांग्रेस ने ठोस समाधान निकालने की कभी कोशिश नहीं की। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लाकर इस

देश का विभाजन 1947 में धार्मिक आधार पर हुआ। 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके पाकिस्तानी समकक्ष लियाकत अली खान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह दोनों देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित था। नेहरू-लियाकत समझौते पर पाकिस्तान ने कभी अमल नहीं किया। इस कारण बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक पाकिस्तान और बांग्लादेश (उस दौर के पूर्वी पाकिस्तान) से भारत आए।

समस्या का समाधान किया है।

जहां तक इस विधेयक की संवैधानिक वैधता का प्रश्न है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है। विपक्ष द्वारा इस विधेयक के संबंध में उठाया गया मुख्य मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में है। वे तर्क दे रहे हैं कि पड़ोसी देशों के कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देकर सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। सच्चाई आरोपों से परे है।

एक वर्ग को चिन्हित करने के समान

यदि एक कल्याणकारी सरकार किसी उपयुक्त आधार पर लोगों को वर्गीकृत करती है और फिर समूह के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्रदान करती है तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 के तहत मान्य है। यह लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए एक वर्ग को चिन्हित करने के समान है। यदि देश के दस प्रतिशत लोगों को गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया गया है तो यह नीति देश के करदाताओं के खिलाफ नहीं है। इसी तरह ओबीसी मुस्लिमों को दिया जाने वाला आरक्षण उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ नहीं है।

टीएमए पई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक और भाषाई आधार पर लोगों के वर्गीकरण को संविधान सम्मत स्वीकृत किया था। इसलिए विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे ऐसे मुद्दे निराधार हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह कानून पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ है। यह भी सच नहीं है। सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी 'इनर लाइन परमिट क्षेत्रों' को कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। साथ ही, पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को भी इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

2013 में संप्रग सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं को दी थी नागरिकता

सरकार ने इस कानून के तहत लोगों को नागरिकता देने के लिए 31 दिसंबर, 2014 की तिथि निर्धारित की है। यानी नागरिकता प्रदान करने के लिए नए प्रवासियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस कानून के तहत केवल उन्हें नागरिकता दी जाएगी जो निर्धारित तिथि या उससे पहले प्रवेश कर चुके हैं। बाहर से आए लोगों को विशेष परिस्थिति में नागरिकता पहले भी दी जाती रही है। 2003 में राजग सरकार और यहां तक कि 2013 में संप्रग सरकार ने सर्क्युलर के माध्यम से पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की थी। इसलिए धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर लोगों को नागरिकता देना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। यह कानून लाकर तो सरकार ने लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी हल निकाला है।

बिना किसी अधिकार के अनिश्चितता और असुरक्षा का जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को नागरिकता प्रदान करके भारत सरकार ने मानव अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों द्वारा जिस ढंग से नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रामक अप-प्रचार करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 से भारत के किसी भी धर्म के नागरिक को कोई खतरा नहीं है। इस कानून से किसी की नागरिकता पर कोई खतरा होने का सवाल ही नहीं है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य हैं)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारत में 100 करोड़ रुपए मूल्य की सर्वाधिक 20 किलोग्राम कोकीन जब्त की

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) दिल्ली क्षेत्रीय इकाई और ऑपरेशन्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अखिल भारतीय स्तर के मादक द्रव्य रैकेट का खुलासा करने में बड़ी सफलता हासिल की और अब तक की सबसे बड़ी मात्रा में कोकीन को जब्त किया।

भारत में एनसीबी द्वारा जब्त 20 किलोग्राम कोकीन का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 100 करोड़ रुपए के लगभग है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जब्त 55 किलोग्राम कोकीन और 200 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की कुल अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 1300 करोड़ रुपए है।

अखिल भारतीय स्तर के इस रैकेट में शामिल 5 भारतीय, 1 अमेरिकी, 2 नाइजीरियाई और 1 इंडोनेशियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया। भारत में इन साइकोट्रोपिक दवाओं की खेप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मंगाई गई थी। कोकीन और मेथामफेटामाइन को भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था।

एनसीबी की इस बरामदगी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में सक्रिय तत्वों पर दबाव पड़ा है और इस कार्रवाई के बाद इससे जुड़े विभिन्न संपर्कों को समझने और उनकी गहन जांच की जरूरत है। अपराधों की गंभीरता को देखते हुए एनसीबी ने इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच और प्रभावी अभियोजन के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। ■

ऐतिहासिक भूल का सुधार है नागरिकता संशोधन कानून

शिव प्रकाश

धर्म के आधार पर हुए देश के बंटवारे को स्वीकार कर कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक भूल की थी उसका परिणाम भुगतने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह गए लाखों करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसियों और ईसाइयों के हितों की सुरक्षा का उपाय केंद्र की भाजपा सरकार ने कर दिया है। नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद अब उन सभी अल्पसंख्यकों के लिए भारत अब कानूनी तौर पर उनका स्थायी निवास बन पाएगा। सरकार का यह कदम किसी खास धर्म के विरोध में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि इसे भारतीय समाज को उसकी जड़ों की तरफ वापस लौटाने वाले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। जो काम देश की आजादी के तुरंत बाद शुरू हो जाना चाहिए था वह अब शुरू हो रहा है।

इस पूरे विषय को ऐतिहासिक परिदृश्य में देखना आवश्यक है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था, तत्कालीन भारत में देश की स्वाधीनता के लिए चल रहे आंदोलन में अपने अपने क्षेत्रों में देशभक्त हिस्सा ले रहे थे। 1947 में देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बना, बंगाल का एक हिस्सा भी धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे में पाकिस्तान का अंग बना जो अंततः बाद में बांग्लादेश के रूप में सामने आया। यहां महत्वपूर्ण यह है कि बंटवारे के बाद हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के कई लोग थे जो अपने-अपने क्षेत्रों रहकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और विभाजन में वहीं रह गये। बांग्लादेश में ऐसे ही एक महान देशभक्त थे त्रिलोक नाथ चटर्जी। उच्च कोटि के देशभक्त चटर्जी का अपनी जन्मभूमि पर ही रह जाना क्या उनके दोष के तौर पर देखा जाना चाहिए। जिन लोगों ने भारतमाता को अपनी मां मानकर अपने प्राण उसके सम्मान की ख़ातिर बलिदान कर दिये, ऐसे असंख्य लोगों के हितों की रक्षा करना आज के सभी राष्ट्रभक्तों का दायित्व है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए ऐसे सभी हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई राष्ट्रभक्तों को समायोजित करने का काम किया है।

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध वही राजनीतिक दल कर रहे हैं जो अरसे से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वर्ग विशेष के मतों की राजनीति करते आए हैं। उनके विरोध का मूल आधार भी मात्र उनकी राजनैतिक लाभ ही है। सभी ने एक स्वर में संसद और उसके बाहर मुसलमानों को नागरिकता देने के अधिकार से वंचित रखने का आरोप सरकार पर लगाया। जबकि इस विधेयक के मूल प्रस्ताव से ही स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसियों एवं ईसाइयों को भारत में बसने में मदद प्रदान करना है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि नागरिकता संशोधन विधेयक देश में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करता। उनकी नागरिकता को यह कानून किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में अपने भाषण में स्पष्ट किया कि यह नागरिकता लेने वाला नहीं, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। वैसे भी किसी भी देश से आया कोई भी व्यक्ति कानून के मुताबिक नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसका प्रावधान देश के कानून में पहले से ही मौजूद है, लेकिन नागरिकता कानून के नाम पर देश के मुसलमानों में भय और संशय पैदा करना कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की आदत बन गयी है। यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस स्वीकार नहीं करती

इस विधेयक के मूल प्रस्ताव से ही स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसियों ईसाइयों को भारत में बसने में मदद प्रदान करना है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि नागरिकता संशोधन विधेयक देश में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करता। उनकी नागरिकता को यह कानून किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाएगा।

तो आज यह नौबत ही नहीं आती।

ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा काम पहली बार किया है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर 13 हजार सिखों और हिंदुओं को नागरिकता दी गई थी। इसके अतिरिक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 2003 में बांग्लादेश के उत्पीड़न के शिकार होकर भारत आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का समर्थन संसद में किया था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1947 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्धों, जैनों, पारसी और ईसाइयों को भयानक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। कौन नहीं जानता कि इन देशों में हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों को किस किस प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर महिलाओं के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार, बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं हुई हैं। इसलिए भारत का यह कर्तव्य बनता है कि इतने वर्षों से उत्पीड़ित हिंदू धर्म के विभिन्न समुदायों के इन लोगों को भारत में नागरिकता मिले, ताकि ये लोग सम्मान और अधिकार के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।

अपने धर्म और समुदाय के लोगों के हितों को आगे बढ़ाने का काम भाजपा कोई पहली बार नहीं कर रही है। दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में अपने प्रसिद्ध शिकागो भाषण में यहूदी और पारसियों को शरण देने का जिक्र किया था। भारत ने भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पड़ोसी देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को शरण देने का काम किया है। सभी जानते हैं कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हुई है। अकेले पाकिस्तान के आंकड़े ही बताते हैं कि कैसे वहां हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। स्वतंत्रता के समय वहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत से अधिक थी। आज वहां इनकी संख्या ढाई प्रतिशत से भी कम रह गयी है। यह स्थिति तब है जब स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के लियाकत अली खान के बीच अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रखने संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत ने समझौते का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया यह वहां के अल्पसंख्यकों के आंकड़ों से ही स्पष्ट हो जाता है।

विपक्षी दल संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देकर बार-बार सरकार पर जनता के समानता के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा रहे हैं। इन दलों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीतिक को ध्यान में रखकर सभी फैसले ले रही है। इसी तरह के आरोप कश्मीर में धारा 370 और तीन तलाक समाप्त करने के समय भी लगाये गये थे, लेकिन इन दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा से इनका विरोध करते आ रहे हैं और हमारा स्पष्ट मानना रहा है कि ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलें हैं जिनका सुधार करना आवश्यक है। हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्रों में भी सदैव ये मुद्दे शामिल रहे हैं। जनता ने हमारी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वह भी इन मुद्दों का अब स्थायी हल चाहती है। कांग्रेस छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हमेशा इन मुद्दों को अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करती रही है। ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महासचिव (संगठन) हैं

सभी जानते हैं कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हुई है। अकेले पाकिस्तान के आंकड़े ही बताते हैं कि कैसे वहां हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। स्वतंत्रता के समय वहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत से अधिक थी। आज वहां इनकी संख्या ढाई प्रतिशत से भी कम रह गयी है। यह स्थिति तब है जब स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरूऔर पाकिस्तान के लियाकत अली खान के बीच अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रखने संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब यह अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को लोकसभा ने 9 दिसंबर और राज्यसभा ने 11 दिसंबर को अपनी मंजूरी दे दी थी।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान है।

इसके उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ऐसे अवैध प्रवासियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपनी नागरिकता संबंधी विषयों के लिए एक विशेष शासन व्यवस्था की जरूरत है। अधिनियम में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने से वंचित न करने की बात कही गई है।

इसमें कहा गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तों को पूरा करता है, तब अधिनियम के अधीन निर्धारित किये जाने वाला सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पर विचार करते समय उनके विरुद्ध अवैध प्रवासी के रूप में उनकी परिस्थिति या उनकी नागरिकता संबंधी विषय पर विचार नहीं करेगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 बनने से पहले भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उक्त अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी शामिल हैं, वे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे। किंतु यदि वे अपने भारतीय मूल का सबूत देने में असमर्थ थे, तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत ''देशीयकरण'' द्वारा नागरिकता के लिये आवेदन करने को कहा जाता था। यह उनको बहुत से अवसरों एवं लाभों से वंचित करता था।

इसलिए नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची का संशोधन कर इन देशों के उक्त समुदायों के आवेदकों को ''देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिये पात्र बनाया गया है।'' इसके लिए ऐसे लोगों मौजूदा 11 वर्ष के स्थान पर पांच वर्षो के लिए अपनी निवास की

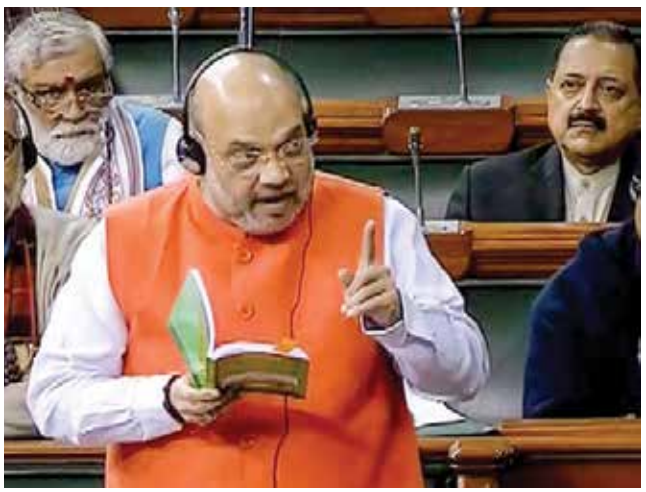

अवधि को प्रमाणित करना होगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में वर्तमान में भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के कार्ड को रद्द करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय आबादी को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी की संरक्षा और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1973 की 'आंतरिक रेखा' प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किये गए कानूनी संरक्षण को बरकरार रखा गया है।

लोकसभा

नागरिकता (संशोधन) देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए 9 दिसंबर को कहा कि

यह संशोधन देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। श्री शाह ने कहा कि इस बिल के माध्यम से सकारात्मक रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लिया जा सकेगा। एक सदस्य के जवाब में उनका कहना था कि इन तीनों देशों में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होता क्योंकि वहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं।

श्री शाह ने कहा कि देश में इस बिल के द्वारा किसी भी मुस्लिम के अधिकारों का हनन नहीं होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था, यदि धर्म के आधार पर विभाजन न हुआ होता तो आज इस बिल की जरूरत न पड़ती। उनका कहना था कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया, इसीलिए बिल में संशोधन की आवश्यकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत में पलायन करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है, यदि वे नागरिकता प्रदान करने की शर्तों को पूरा करते हैं।

देश में इस बिल के द्वारा किसी भी मुस्लिम के अधिकारों का हनन नहीं होगा। जब देश आजाद हुआ था, यदि धर्म के आधार पर विभाजन न हुआ होता तो आज इस बिल की जरूरत न पड़ती। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया, इसीलिए बिल में संशोधन की आवश्यकता है।

श्री शाह ने विधेयक का परिचय देते हुए कहा कि इस विधेयक में भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित नहीं किया गया है, लेकिन अवैध प्रवासियों को किसी भी कीमत पर देश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री शाह ने कहा कि किसी भी सरकार का यह कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके तथा शरणार्थी और घुसपैठियों की अलग-अलग पहचान करें। उनका कहना था कि जब एनआरसी लाएंगे, एक भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा।

पूर्वोत्तर के लोगों की सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत की जमीनी सीमा से सटे तीन देश हैं, जिनकी लगभग 106 किलोमीटर की सीमा भारत से सटी हुई है और इन देशों में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के लोग प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने के लिए आते हैं। उनका यह भी कहना था कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को यह बिल आहत नहीं करेगा, बल्कि उत्तर-पूर्व के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। श्री शाह का कहना था कि पूर्वोत्तर के लोगों की भाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है।

श्री शाह का कहना था कि विपक्षी सदस्यों द्वारा जितने भी आर्टिकल का उल्लेख किया गया है उन सभी को ध्यान में रखा गया है। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मणिपुर को इनर लाइन परमिट के तहत लाया जाएगा और इसके साथ ही सभी पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। पूरा अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड इनर लाइन प्रोटेक्टेड है, इसलिए सभी नार्थ-ईस्ट के राज्यों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) बिल 2019 लाखों-करोड़ों शरणार्थियों को नर्कपूर्ण यात्रा जैसे जीवन से मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन देशों के अल्पसंख्यक नागरिक भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए भारत में आए थे और यह बिल पारित होने के बाद उनको भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल गैर-संवैधानिक नहीं है और न ही आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को अपने-अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना था किंतु ऐसा नहीं हुआ। श्री शाह ने यह भी बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश ने अपने संविधान में लिखा है कि वहां का राजधर्म इस्लाम है।

श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी जो 2011 में घटकर 3.7% रह गई, बांग्लादेश में भी यह संख्या कम हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ बना रहे। श्री शाह ने बताया कि भारत में मुस्लिम 1951 में 9.8% था जो आज 14.23% है जो इस बात का सबूत है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।

श्री शाह ने कहा कि यदि पड़ोस के देशों में अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना हो रही है, उन्हें सताया जा रहा है तो भारत मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। श्री शाह का कहना था कि भारत में किसी

तरह की रिफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। श्री अमित शाह ने कहा कि यह नरेन्द्र मोदी सरकार है ना लम्हों की खता होगी, न सदियों तक सजा पाएंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि रोहिंग्या को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्री शाह ने यह भी कहा कि देश के सभी अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह भी कहना था कि भारत का संविधान ही श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का धर्म है।

राज्यसभा

यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का नहीं

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए 11 दिसंबर को कहा कि यह बिल करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है। उनका कहना था कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है। वह लोग या तो मार दिए गए, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वे शरणार्थी बनकर भारत में आए।

श्री शाह ने कहा कि तीनों देशों से आए धर्म के आधार पर प्रताड़ित ऐसे लोगों को संरक्षित करना इस बिल का उद्देश्य है, भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई लेना-देना नहीं है। राज्यसभा में विधेयक का परिचय देते हुए श्री शाह ने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से पीड़ित थे।

पिछले 5 वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गई। श्री शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नहीं है। उनका कहना था कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार मानती है कि जिनकी प्रताड़ना हुई है, उन सब की मदद सरकार को करनी चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश का बंटवारा और बंटवारे के बाद की स्थितियों के कारण यह बिल लाना पड़ा। उनका कहना था कि 70 सालों तक देश को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए और देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आई है।

श्री शाह ने कहा कि हमारे पास 5 साल का बहुमत था, हम भी सत्ता का केवल भोग कर सकते थे, किंतु देश की समस्या को कितने सालों तक लटका कर रखा जाए, समस्याओं को कितना कितना बड़ा किया जाये। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि अपनी आत्मा के साथ संवाद करिए और यह सोचिए कि यदि यह बिल 50 साल पहले आ गया होता तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती।

श्री अमित शाह का कहना था कि 2019 के घोषणा पत्र में असंदिग्ध रूप से इस बात की घोषणा की गई थी और यह इरादा जनता के समक्ष रखा गया था कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीएबी लागू करेंगे, जिसका समर्थन जनता ने किया है।

धर्म के आधार पर देश का विभाजन सबसे बड़ी भूल

श्री अमित शाह का कहना था कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ यह सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल 1950

नागरिकता संशोधन विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 दिसंबर को कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा और यह धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा।

भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छह महीने में सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने, अर्थव्यवस्था की मजबूती, किसानों सहित विविध क्षेत्रों में ''ऐतिहासिक कार्य'' किये हैं और पार्टी सांसद इन कार्यों को जनता के बीच ले जाएं। प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे आगामी बजट के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों की राय लें और इसके बारे में वित्त मंत्री को बताएं।

श्री मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के नेता वैसी ही भाषा का उपयोग कर रहे हैं जैसी भाषा का उपयोग पाकिस्तान करता है और पार्टी सांसदों को इससे जनता को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा और यह धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा।

को नेहरू-लियाकत समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, में यह वादा किया गया था कि दोनों देश अपने-अपने अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखेंगे किंतु पाकिस्तान में इसे अमल में नहीं लाया गया। भारत ने यह वादा निभाया और यहां के अल्पसंख्यक सम्मान के साथ देश के सर्वोच्च पदों पर काम करने में सफल हुए, किंतु तीनों पड़ोसी देशों ने इस वादे को नहीं निभाया और वहां के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया।

एक प्रश्न के जवाब में श्री शाह ने कहा कि नागरिकता बिल में पहले भी संशोधन हुए और विभिन्न देशों को उस समय की समस्या के आधार पर प्राथमिकता दी गई और वहां के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। आज भारत की भूमि-सीमा से जुड़े हुए इन 3 देशों के लघुमती (अल्पसंख्यक) शरण लेने आए हैं इसलिए इन 3 देशों की समस्या का जिक्र किया जा रहा है।

श्री शाह का कहना था कि पासपोर्ट, वीजा के बगैर जो प्रवासी भारत में आए हैं उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है किंतु इस बिल के पास होने के बाद तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। श्री शाह ने कहा कि यह बिल भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित नहीं करता है। धार्मिक उत्पीड़न के शिकार इन तीनों देशों के लोग रजिस्ट्रेशन कराकर भारत की नागरिकता ले पाएंगे।

श्री शाह का कहना था कि 1955 की धारा 5 या तीसरे शेडयूल की शर्तें पूरी करने के बाद जो शरणार्थी आए हैं उन्हें उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी जब से वह यहां आए तथा इस बिल के पास होने के बाद उनके ऊपर से घुसपैठ या अवैध नागरिकता के केस स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि अगर इन अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट और वीजा समाप्त हो गए हैं, तो भी उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि अधिनियम के संशोधनों के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं और पूर्वी बंगाल के तहत अधिसूचित 'इनर लाइन' के तहत आने वाले क्षेत्र को कवर किया गया है।

एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मणिपुर को इनर लाइन परमिट (ILP) शासन के तहत लाया जाएगा और इसके साथ ही सिक्किम सहित सभी उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा।

श्री अमित शाह ने आसाम का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि आसाम आंदोलन के शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उनका कहना था कि 1985 में श्री राजीव गांधी के द्वारा क्लॉज़ सिक्स के तहत एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया था जो वहां के लोगों की भाषा, संस्कृति और सामाजिक पहचान की रक्षा करती किंतु यह आश्चर्यजनक बात है कि 1985 से लेकर 2014 तक तीन दशकों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह कमेटी ही नहीं बन सकी।

उनका कहना था कि 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद उस कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने असम के लोगों से आग्रह किया कि वह समझौते के प्रावधानों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे।

श्री नरेन्द्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियम के संशोधनों के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं और पूर्वी बंगाल के तहत अधिसूचित 'इनर लाइन' के तहत आने वाले क्षेत्र को कवर किया गया है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित रखा जाएगा और इस विधेयक में संशोधन के रूप में इन राज्यों के लोगों की समस्याओं का समाधान है। पिछले एक महीने से नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न हितधारकों के साथ मैराथन विचार-विमर्श के बाद शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक विचारधाराओं से परे एक मानवतावादी के रूप में देखा जाना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसे शरणार्थियों को उचित आधार पर नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान हैं, जो किसी भी तरह से भारत के संविधान के तहत किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं जाते हैं और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

श्री शाह ने यह भी कहा कि देश के सभी अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री अमित शाह ने एक सदस्य के प्रश्न के जवाब में कहा कि हम चुनावी राजनीति अपने देश के नेता के दम पर करते हैं और उसमें सफल होते हैं, किंतु देश की समस्या का समाधान करते समय पूरा ध्यान समस्या पर केंद्रित होता है। ■

'यह विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा'

गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए वक्तव्य के मुख्य बिंदु :

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान इस विधेयक में है। प्रस्तुत हैं इसके मुख्य बिंदु:

विधेयक का उद्देश्य

- यह विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा।
- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है। इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है, वह लोग या तो मार दिए गए, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वे शरणार्थी बनकर भारत में आए।
- तीनों देशों से आए धर्म के आधार पर प्रताड़ित ऐसे लोगों को संरक्षित करना इस विधेयक का उद्देश्य है।
- भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई अहित नहीं है ।
- इस बिल का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से पीड़ित थे।
- यह उन निश्चित वर्गों के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए इन तीन देशों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
- इसमें उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है।

किसको मिलेगी नागरिकता

- पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीन देशों की जो सीमाएं भारत को छूती हैं, उन तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, वहां की लघुमती के लोग, जो भारत में आए हैं, वे किसी भी समय आए हों, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान इस विधेयक में है।
- जो किसी भी तरह से भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं जाते हैं, ऐसे शरणार्थियों को उचित आधार पर नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान हैं।

विधेयक में प्रावधान

- धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने का सवाल है।
- हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, जो पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीन देशों से आते हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इससे उनको मुक्ति दे दी गई है।
- यदि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों और प्रतिबंधों के तौर-तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनके माध्यम से वे भारत की नागरिकता ले पाएंगे।
- ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 या तीसरे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो जिस तिथि से वे भारत में आए हैं, उसी तिथि से उनको नागरिकता दे दी जाएगी।
- पश्चिमी बंगाल के अन्दर ढ़ेर सारे शरणार्थी आए हुए हैं, अगर वे 1955 में आए, 1960 में आए, 1970 में आए, 1980 में आए, 1990 में आए या 2014 की 31 दिसंबर के पूर्व आए, उन सभी को उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी, जिस तिथि से वे आए हैं।
- इससे उनको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में, घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई भी केस चल रहा है, तो वह केस इस बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जाएगा और उन्हें किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- अगर आवेदक किसी भी प्रकार का अधिकार या प्रिवीलेज ले रहा है, तो इस प्रावधान के तहत वह अधिकार व प्रिवीलेज से वंचित नहीं कर दिया जाएगा।
- कई जगह कुछ जो शरणार्थी आए हैं, उन्होंने छोटी-मोटी दुकान खरीद ली है, वे अपना काम कर रहे हैं। कानून की दृष्टि में हो

सकता है कि वह अवैध हो, गैर-कानूनी हो, मगर यह बिल उनको रक्षित करता है कि उन्होंने भारत में अपने निवास के समय में जो कुछ भी किया है, उसको यह बिल रेगुलराइज कर देगा। उनकी उस स्टेटस को कहीं पर भी वंचित नहीं करेगा।

- जैसे किसी की शादी हुई, बच्चे हुए, इन सब चीजों को यह बिल रेगुलराइज करेगा।

उत्तर–पूर्व के राज्यों में लागू नहीं होगा विधेयक

- जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके अधिकारों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उनकी सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर प्रावधान हुए हैं।
- जनजातीय इलाकों पर यह बिल लागू नहीं होगा।
- उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और अब पूरा मणिपुर भी नोटिफाई हो चुका है।
- इसी तरह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1973 के तहत इनर लाइन परमिट के इलाके, पूरा मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, अधिकांश नागालैंड और मणिपुर, इन सारे एरिया में भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 1985 से लेकर 35 साल तक किसी को चिंता नहीं हुई कि असम के लोगों की भाषा की रक्षा, साहित्य की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, पूरे सामाजिक परिवेश की रक्षा, उनके राजनैतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा, इन सारी चीज़ों के लिए जो करना था, वह हुआ ही नहीं।
- वह तब हुआ, जब इस देश ने नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई।
- श्री नरेन्द्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- असम के सभी मूल निवासियों की सभी हितों की चिंता क्लॉज़- 6 कमिटी के माध्यम से किया जायेगा।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित रखा जाएगा और इस विधेयक में संशोधन के रूप में इन राज्यों के लोगों की समस्याओं का समाधान है।

मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है यह विधेयक

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह बिल माइनॉरिटी के खिलाफ है, यह बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है।'
- श्री अमित शाह ने कहा, 'जो इस देश के मुसलमान हैं, उनके लिए इस देश के अंदर किसी चिंता की सवाल ही नहीं है।'
- श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गई।
- श्री शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नहीं है।
- श्री नरेन्द्र मोदी सरकार मानती है कि जिनकी प्रताड़ना हुई है, उन सबकी मदद सरकार को करनी चाहिए।
- श्री शाह ने कहा 'वे नागरिक हैं, नागरिक रहेंगे, उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता।'
- यहां के अल्पसंख्यक और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ■

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने रिकॉर्ड 215 दिनों में 3000 कोच तैयार किए

भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) ने समर्पण और दक्षता प्रदर्शित करते हुए 9 महीने से भी कम समय में अपना 3000वां कोच तैयार किया। इससे कोचों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष उपरोक्त आंकड़ा प्राप्त करने के लिए कार्य दिवसों की संख्या 289 दिन थी जो घटकर चालू वर्ष में 215 दिन हो गई, इसमें, 25.6% की गिरावट आई है। वर्ष 2014 तक, केवल 1000 कोचों के उत्पादन के लिए उतना ही समय लिया जा रहा था। ■

Working days to complete 1000, 2000, 3000 coaches outturn

Year	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Working days for	216	209	217	181	172	149	154	112	88
Working days for					289	288	278	202	149
Working days for								289	215

मां गंगा उप-महाद्वीप की सबसे पवित्र नदी हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। परिषद को गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प का समग्र उत्तरदायित्व भी सौंप दिया गया। परिषद की प्रथम बैठक का उद्देश्य संबंधित राज्यों के सभी विभागों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों में गंगा केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान देना शामिल है।

इस बैठक में जल शक्ति, पर्यावरण, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शहरी मामलों, विद्युत, पर्यटन, नौवहन मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के उपमुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल से कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं था, जबकि झारखंड से किसी प्रतिनिधि ने राज्य में जारी चुनाव और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें भाग नहीं लिया।

प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छता', 'अविरलता' और 'निर्मलता' पर ध्यान केंद्रित करते हुए गंगा नदी की स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मां गंगा उप-महाद्वीप की सबसे पवित्र नदी हैं और इसके कायाकल्प को सहयोगात्मक संघवाद के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा का कायाकल्प देश के लिए दीर्घकाल से लंबित चुनौती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 में 'नमामि गंगे' का शुभारंभ करने के पश्चात इस दिशा में बहुत कुछ किया है, जो प्रदूषण उन्मूलन, गंगा का संरक्षण और कायाकल्प, कागज मीलों से रद्दी को पूर्ण रूप से समाप्त करने और चमड़े के कारखानों से होने वाले प्रदूषण में कमी जैसी उपलब्धियों को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ विभिन्न सरकारी प्रयासों और गतिविधियों को एकीकृत करने की एक व्यापक पहल के रूप में परिलक्षित है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

प्रथम बार, केंद्र सरकार ने पांच राज्यों जिनसे होकर गंगा की धारा बहती है और गंगा नदी में पर्याप्त जल के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 2015-20 की अवधि हेतु 20,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। नवीन अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के निर्माण के लिए अब तक 7700 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि निर्मल गंगा के एक सुधारात्मक प्रारूप के लिए जनता से भी व्यापक स्तर पर पूर्ण सहयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय नदियों के किनारों पर स्थित शहरों में भी गंगा की स्वच्छता के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए जागरूकता के प्रसार की आवश्यकता होगी। योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने हेतु सभी जिलों

में जिला गंगा समितियों की दक्षता में भी सुधार किया जाना चाहिए।

सरकार ने गंगा कायाकल्प परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए व्यक्तिगत, एनआरआई, कॉर्पोरेट संस्थाओं से योगदान की सुविधा हेतु स्वच्छ गंगा कोष (सीजीएफ) की स्थापना की है। माननीय प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से 2014 के बाद से उन्हें मिले उपहारों की नीलामी और सियोल शांति पुरस्कार से प्राप्त धनराशि 16.53 करोड़ रुपये सीजीएफ के लिए भेंट स्वरूप प्रदान किए।

प्रधानमंत्री ने गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक सतत विकास मॉडल 'नमामि गंगे' को 'अर्थ गंगा' में परिवर्तित करने की एक समग्र सोच विकसित करने का आग्रह किया। इस प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें शून्य बजट खेती, फलों के वृक्ष लगाने और गंगा के किनारों पर पौध नर्सरी का निर्माण शामिल है।

इन कार्यक्रमों के लिए महिला स्व-सहायता समूहों और पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इस तरह की कार्यप्रणालियों के साथ जल से संबंधित खेलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और शिविर स्थलों के निर्माण, साइकिल और चलने की पटरियों आदि के विकास से नदी के बेसिन क्षेत्रों में धार्मिक और साहसिक पर्यटन जैसी महत्वपूर्ण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पारिस्थितिकी-पर्यटन और गंगा वन्यजीव संरक्षण एवं क्रूज पर्यटन आदि के प्रोत्साहन से होने वाली आय से गंगा स्वच्छता के लिए स्थायी आय स्रोत बनाने में मदद मिलेगी।

'नमामि गंगे' और 'अर्थ गंगा' के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और पहलों की कार्य प्रगति और गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल डैशबोर्ड की स्थापना के भी निर्देश दिए, जिसके माध्यम से नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दैनिक रूप से गांवों और शहरी निकायों के डेटा की निगरानी की जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षापूर्ण जिलों की तरह गंगा के किनारों पर स्थित सभी जिलों को 'नमामि गंगे' के अंतर्गत हो रहे प्रयासों की निगरानी के लिए एक केंद्रित क्षेत्र बनाया जाना चाहिए।

बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को पुष्पांजलि अर्पित की और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में 'नमामि गंगे' पर किए जा रहे कार्यों और परियोजनाओं पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके पश्चात् प्रधानमंत्री ने अटल घाट की यात्रा की और सीसामऊ नाले की स्वच्छता के सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए कार्य का भी निरीक्षण किया। ■

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना संभव: नरेन्द्र मोदी

अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत को 5 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना संभव है। प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रमुख उद्योग चैम्बर 'एसोचैम' के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे।

श्री मोदी ने कॉरपोरेट जगत की हस्तियों, राजनयिकों एवं अन्य गणमान्यजनों के समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का आइडिया अचानक नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में देश ने स्वयं को इतना मजबूत कर लिया है कि उसने न केवल खुद के लिए इतना महत्वपूर्ण लक्ष्य तय कर लिया है, बल्कि इस दिशा में उसने ठोस प्रयास करने भी शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'इससे 5 साल पहले अर्थव्यवस्था तबाही की ओर अग्रसर थी। हमारी सरकार ने न केवल इस पर विराम लगाया, बल्कि अर्थव्यवस्था में अनुशासन का मार्ग भी प्रशस्त किया।'

श्री मोदी ने कहा, 'हमने भारत की अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन किए, ताकि इसका संचालन निर्धारित नियमों के मुताबिक अनुशासित ढंग से हो सके। हमने औद्योगिक क्षेत्र की दशकों पुरानी मांगें पूरी कीं और हमने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव डाल दी है।'

हमने भारत की अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन किए, ताकि इसका संचालन निर्धारित नियमों के मुताबिक अनुशासित ढंग से हो सके। हमने औद्योगिक क्षेत्र की दशकों पुरानी मांगें पूरी कीं और हमने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव डाल दी है।

उन्होंने कहा, 'हम औपचारिकरण और आधुनिकीकरण के दो मजबूत स्तम्भों पर भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक क्षेत्रों (सेक्टर) को औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम देश की अर्थव्यवस्था को नवीनतम प्रौद्योगिकी से जोड़ रहे हैं, ताकि हम आधुनिकीकरण की गति को तेज कर सकें।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अब किसी भी कम्पनी के पंजीकरण में कई हफ्तों के बजाय केवल कुछ ही घंटे लगते हैं। स्वचालन (ऑटोमेशन) से सीमा पार व्यापार बड़ी तेजी से करने में मदद मिल रही है। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के बेहतर जुड़ाव से बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर जहाजों एवं विमानों के आगमन व प्रस्थान में लगने वाला कुल समय निरंतर घटता जा रहा है। ये सभी एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं।'

श्री मोदी ने कहा, 'आज हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो उद्योग जगत के विचारों को सुनती है, उसकी जरूरतों को समझती है और इसके साथ ही उसके सुझावों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि निरंतर अथक प्रयास करने की बदौलत ही भारत 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में उल्लेखनीय छलांग लगाने में कामयाब हो पाया है।

श्री मोदी ने कहा कि 'कारोबार करने में सुगमता' वाक्य भले ही सिर्फ चार शब्दों से बना हो, लेकिन इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए अनगिनत ठोस प्रयास किए गए हैं, जिनमें जमीनी स्तर पर नीतियों एवं नियमों में अपेक्षित बदलाव लाना भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि देश में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हुए बगैर ही कर प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि करदाता और प्राधिकरणों के बीच व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता कम से कम हो जाए।

उन्होंने कहा, 'कर प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हम बगैर व्यक्तिगत उपस्थिति वाले कर प्रशासन की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं।' श्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े अनेक कानूनों का गैर-अपराधीकरण कर दिया है, ताकि उद्योग जगत भय रहित माहौल में काम कर सके।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आप जानते हैं कि कम्पनी अधिनियम में अनेक प्रावधान हैं, जिनके मामूली उल्लंघन को भी फौजदारी अपराध मान लिया जाता है। हमारी सरकार ने ऐसे अनेक प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण कर दिया है। हम इसके अलावा भी कई अन्य प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण कर रहे हैं अथवा उन्हें दीवानी अपराधों में

तब्दील कर रहे हैं।'

श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश में कॉरपोरेट टैक्स की जो दर है, वह न्यूनतम है और इससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'इस समय देश में कॉरपोरेट टैक्स की दर न्यूनतम है, इसका अर्थ यही है कि यदि कोई भी सरकार उद्योग जगत से न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स ले रही है तो वह हमारा देश ही है।'

श्री मोदी ने श्रम सुधारों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को और भी अधिक पारदर्शी एवं लाभप्रद बनाने के लिए इस सेक्टर में लागू किए गए व्यापक सुधारों के बारे में भी विस्तार से बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'सरकार की ओर से उठाये गए विभिन्न कदमों की बदौलत आज 13 बैंक मुनाफे के पथ पर अग्रसर हैं, जबकि 6 बैंक 'पीसीए' के दायरे से बाहर आ गए हैं। हमने बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। आज बैंक अपने-अपने देशव्यापी नेटवर्कों का विस्तार कर रहे हैं और इसके साथ ही वे वैश्विक मान्यता हासिल करने की दिशा में अग्रसर हैं।'

श्री मोदी ने कहा कि इस समग्र सकारात्मकता के साथ भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र (सेक्टर) में भी 25 लाख करोड़ रुपये का और निवेश करेगी। ■

वर्षांत समीक्षा 2019: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

80 लाख छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां

1.25 लाख से अधिक युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण

वर्ष 2019 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्राथमिकता अल्पसंख्यकों, विशेषकर लड़कियों के शैक्षिक सशक्तिकरण और रोजगारपरक कौशल विकास रही। 'सम्मान के साथ सशक्तिकरण' अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का संकल्प रहा है।

शैक्षिक सशक्तिकरण

मोदी सरकार-2 के पहले 6 महीनों में ही 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों-जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, सिक्ख एवं मुस्लिम समुदाय के 80 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, मेरिट कम मीन्स एवं अन्य स्कॉलरशिप्स स्वीकृत की गई हैं जिनमे 60 प्रतिशत लड़कियां हैं।

2019 में महात्मा गांधी की 150 जयंती के उपलक्ष्य में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 3 लाख गरीब, जरूरतमंद लड़कियों को 'बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप' अलग से दी। देश भर के मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के 750 से अधिक मदरसा शिक्षकों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्यधारा की शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें बड़ी संख्या में महिला शिक्षक शामिल हैं।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मदरसों की पारम्परिक शिक्षा, उर्दू, अरबिक आदि भाषाओं की पढ़ाई के अलावा मदरसों के शिक्षकों को औपचारिक (फॉर्मल) शिक्षा के विषयों जैसे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, क्षेत्रीय भाषाओं आदि पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मदरसा शिक्षकों को मुख्यधारा शिक्षा की ट्रेनिंग देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, अंजुमन-ए-इस्लाम, एमिटी विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा दी जा रही है।

इसके अलावा इस वर्ष 650 से अधिक स्कूल-ड्रॉप आउट छात्रों को 'ब्रिज कोर्स' करवाया गया है। उन्हें इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिससे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके या नौकरी कर सकेंगे।

कौशल विकास/रोजगार के अवसर

वर्ष 2019 में 1 लाख 25 हजार से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को 'गरीब नवाज़ रोजगार योजना', 'सीखो और कमाओ', 'नई मंज़िल', 'उस्ताद', 'नई रौशनी' जैसी रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के तहत ट्रेनिगं दी गई।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में 100 से ज्यादा 'हुनर हाट' आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों, शिल्पकारों, पारम्परिक खानसामों को रोजगार-रोजगार के अवसर मुहैया कराये जायेंगे। मोदी सरकार-2 का पहला 'हुनर हाट' 24 अगस्त से 1 सितम्बर, 2019 तक जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमे 200 से अधिक महिला दस्तकार सहित देश भर से दस्तकारों, कारीगरों ने भाग लिया। इसके बाद 'हुनर हाट' का आयोजन इलाहाबाद में 1 से 10 नवम्बर, 2019, नई दिल्ली के व्यापार मेले में 14 से 27 नवम्बर, 2019 और अहमदाबाद में 7 से 15 दिसंबर, 2019 किया गया।

अगले 'हुनर हाट' का आयोजन मुंबई में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2019 तक किया जा रहा है। 2019-2020 के सभी 'हुनर हाट',

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के थीम पर आधारित होंगे। इसके बाद 'हुनर हाट' का आयोजन 10 से 20 जनवरी, 2020 लखनऊ में, 11 से 19 जनवरी, 2020 तक हैदराबाद में, 20 जनवरी से 1 फरवरी, 2020 चंडीगढ़ में, 08 फरवरी से 16 फरवरी, 2020 तक इंदौर में किया जाएगा।

आने वाले दिनों में 'हुनर हाट' का आयोजन नई दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून, पटना, भोपाल, नागपुर, रायपुर, पुडुचेरी, अमृतसर, जम्मू, शिमला, गोवा, कोच्चि, गुवाहाटी, रांची, भुबनेश्वर, अजमेर आदि में किया जायेगा। वर्ष 2019 में 'हुनर हाट' के माध्यम से हजारों जरूरतमंद दस्तकारों, शिल्पकारों, खानसामों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार-रोजगार के मौके मुहैया कराये गए।

मोदी सरकार 2 के पहले 100 दिनों में ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 100 'हुनर हब' स्वीकृत किये हैं। इन 'हुनर हब' में दस्तकारों, शिल्पकारों, पारम्परिक खानसामों को वर्तमान जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके हुनर को और निखारा जा रहा है। पिछले लगभग 2 वर्षों में देश के प्रसिद्ध आर्थिक केंद्रों में आयोजित दो दर्जन से ज्यादा 'हुनर हाट' के जरिये 2 लाख 65 हजार कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों, खानसामों और उनसे जुड़े हुए लोगों को रोजगार और रोजगार के मौके मुहैया कराये हैं, जिनमे बड़ी संख्या में महिला दस्तकार भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

मोदी सरकार-2 के पहले 6 महीनों में ही 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत देश भर में 100 कॉमन सर्विस सेंटर स्वीकृत किये गए हैं, जो जरूरतमंदों के लिए सिंगल-विंडो सहायता केंद्र की तरह काम करेंगे, जहां आम लोगों को केंद्र-राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

साथ ही जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ लेने में सहायता दी जाएगी। 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के तहत टॉयलेट सुविधा-53, स्कूलों में सौर ऊर्जा सुविधा- 16, अतिरिक्त क्लास रूम- 324, स्वास्थ्य केंद्र- 223; आंगनवाड़ी केंद्र- 52; आवासीय स्कूल-33; डिग्री कॉलेज-7, स्कूल भवन-98, हॉस्टल-98, आईटीआई-4, 'हुनर हब'-100, कौशल विकास केंद्र- 10, पॉलिटेक्निक- 3 का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा बरेली में 130 करोड़ रुपये की लागत से यूनानी कॉलेज, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल भवन के अलावा केरल के मल्लापुरम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल भवन आदि का निर्माण कर रहे हैं। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी,
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह
और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

कानपुर (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय गंगा परिषद् की प्रथम बैठक संपन्न होने के बाद गंगा में नाव से जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

महात्मा गांधी के 150वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समिति की द्वितीय बैठक में भाग लेते राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति

कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

रामलीला मैदान (नई दिल्ली) में एक विशाल रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20